

करंट
अफेयर्स



Connect
Civils RAS

IAS
RAS

प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका

जुलाई 2025



9352179495



Connect Civils RAS



Youtube Lecture

One Stop Solution


Sab kuchh milega yha..Quality ke saath



24*7 Library Access




Discussion room



Smart classrooms



Acche Dost/Sangat



Smart strategy



Mentorship



Current affairs




PYQs/Question bank



Value addition



Of Books & Accessories



9352179495



www.rajras.in



connectcivils.com



Index

राजव्यवस्था..... 2

- Topic 1 - ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग..... 2
- Topic 2 - भारत की भाषाई धर्मनिरपेक्षता की रक्षा..... 3
- Topic 3 - गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967..... 5
- Topic 4 - “समाजवाद” और “पंथनिरपेक्षता”..... 6
- Topic 5 - हाई कोर्ट जज के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव..... 8
- Topic 6 - राष्ट्रपति संदर्भः राज्यपाल की सहमति में देरी..... 9
- Topic 7 - निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट..... 10

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध..... 12

- Topic 1 - भारत के नेतृत्व में पर्यावरण से संबंधित गठबंधन..... 12
- Topic 2 - भारत-यूएई रणनीतिक संबंध..... 13
- Topic 3 - क्या अमेरिकी साम्राज्यवाद वैश्विक खतरा है?..... 14
- Topic 4 - भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता 2025..... 15
- Topic 5 - अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में वानुअतु मामला (2025)..... 17
- Topic 6 - ब्रह्मपुत्र पर चीन का मेगा डैम..... 18

अर्थव्यवस्था..... 19

- Topic 1 - भारत में कॉर्पोरेट निवेश में हास..... 19
- Topic 2 - भारत का व्यापार घाटा..... 20
- Topic 3 - भारत में असमानता की स्थिति..... 20
- Topic 4 - जैव ईंधन..... 22
- Topic 5 - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) - जून 2025..... 23
- Topic 6 - RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - जून 2025..... 24
- Topic 7 - रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना..... 25
- Topic 8 - भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता..... 26
- Topic 9 - सहकारी क्षेत्र..... 28
- Topic 10 - भारत का विदेशी व्यापार - अदृश्य व्यापार में वृद्धि..... 29
- Topic 11 - RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)..... 30

योजनाएँ..... 31

- Topic 1 - पीएम धन-धान्य कृषि योजना..... 31
- Topic 2 - CROPIIC और कृषि में AI का अनुप्रयोग..... 32
- Topic 3 - RDI योजना और अनुसंधान-प्रधान भारत की दिशा में प्रयास..... 33

इतिहास..... 35

- Topic 1 - मराठा सैन्य परिदृश्य - यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल..... 35
- Topic 2 - एनसीईआरटी इतिहास पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन..... 36
- Topic 3 - पाइका विद्रोह (1817)..... 36
- Topic 4 - चोल वंश..... 37

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी..... 38

- Topic 1 - अंतर्राकीय वस्तु 3I/ATLAS..... 38
- Topic 2 - क्वांटम शोरः व्यवधान से खोज तक..... 38
- Topic 3 - CERN..... 39
- Topic 4 - प्रतिपदार्थ (एंटीमैटर)..... 40
- Topic 5 - कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs)..... 40

- Topic 6 - ब्लैक होल विलय..... 41
- Topic 7 - ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) प्रौद्योगिकी..... 42
- Topic 8 - भारतीय सेना का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) रोडमैप (2026-27)..... 42
- Topic 9 - खबरों में मिसाइलें..... 44
- Topic 10 - भारत में बायोस्टिमुलेंट्स..... 45
- Topic 11 - रक्षा..... 45

पर्यावरण..... 48

- Topic 1 - कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)..... 48
- Topic 2 - भारत में जलवायु प्रवासन (Climate Migration).... 49
- Topic 3 - रोडिस (RhoDIS) इंडिया कार्यक्रम..... 51
- Topic 4 - ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (TATR)..... 51
- Topic 5 - भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता..... 52
- Topic 6 - प्लास्टिक कचरे में अंतःस्नावी विघटनकारी..... 53
- Topic 7 - क्योटो प्रोटोकॉल..... 54

SMA and SBL (Unit - III)..... 55

- Topic 1 - शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर यौन हिंसा..... 55
- Topic 2 - एआई बनाम कॉपीराइटः एक कानूनी-नैतिक बहस..... 56
- Topic 3 - राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025..... 57
- Topic 4 - मानसिक स्वास्थ्य और छात्र आत्महत्या..... 58
- Topic 5 - भारत में दहेज मृत्यु..... 59

विविध..... 61

- Topic 1 - स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25..... 61
- Topic 2 - विम्बलडन 2025 हाइलाइट्स..... 62
- Topic 3 - वीर परिवार सहायता योजना 2025..... 62



राजव्यवस्था

Topic 1 - ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग

Syllabus	राजव्यवस्था संविधान शासन
संदर्भ	सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में सोशल मीडिया सामग्री से संबंधित दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने नागरिकों द्वारा आत्म-संयम की आवश्यकता पर जोर दिया और चेतावनी दी कि यदि डिजिटल अभिव्यक्ति अनियंत्रित रही तो राज्य नियमन अपरिहार्य हो सकता है।
भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ परिभाषा: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, मतों और भावनाओं को किसी भी माध्यम – वाणी, लेखन, कला या डिजिटल माध्यम – से बिना अनुचित सेंसरशिप के अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अधिकार से है। ❖ संवैधानिक आधार: <ul style="list-style-type: none"> > अनुच्छेद 19(1)(a): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। > रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास जैसे ऐतिहासिक मामलों में में इसे लोकतंत्र की आधारशिला बताया गया। ❖ युक्तियुक्त प्रतिबंध - अनुच्छेद 19(2): <ul style="list-style-type: none"> > प्रतिबंध निम्नलिखित के हित में अनुमत हैं: <ul style="list-style-type: none"> ■ भारत की संप्रभुता और अखंडता ■ राज्य की सुरक्षा ■ सार्वजनिक व्यवस्था ■ शिष्टता और नैतिकता ■ मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध के लिए उकसाना। > ये प्रतिबंध उचित होने चाहिए और न्यायिक समीक्षा के अधीन होने चाहिए। ■ उदाहरण: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015): आईटी अधिनियम की धारा 66ए को असंवैधानिक करार दिया गया क्योंकि यह अस्पष्ट थी।
ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में वृद्धि: दुरुपयोग के कारण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ इंटरनेट की पहुंच में तीव्र वृद्धि: भारत में 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता, जिनमें एक्स (ट्रिविटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उच्च उपयोगकर्ता गतिविधि, विशेष रूप से राजनीतिक और धार्मिक चर्चाओं की अधिकता। ❖ अनामिता और वायरल प्रवृत्ति: फर्जी प्रोफाइल और अनामिता व्यक्तियों को बिना जवाबदेही के उत्तेजक या मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने में सक्षम बनाती है। ❖ प्लेटफॉर्म की कमजोर जवाबदेही: कानूनी दबाव के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने में विलंब। ❖ ध्रुवीकरण वाली सामग्री: चुनाव, दंगे या संकट के समय राजनीतिक या धार्मिक रूप से विभाजनकारी पोस्ट की वृद्धि।
लोकतंत्र और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सामाजिक ध्रुवीकरण और विघटनकारी कार्य:- ऑनलाइन धृणास्पद भाषण अक्सर ऑफलाइन सांप्रदायिक हिंसा और समूह-आधारित तनाव में वृद्धि करता है। उदाहरण: यूट्यूब या एक्स पर धृणा वीडियो ने भीड़ की कार्रवाइयों को उकसाया है। ❖ न्यायिक अधिभार- एफआईआर और जमानत आवेदनों में वृद्धि से पुलिस और अदालतों पर दबाव पड़ता है। उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट को वजाहत खान के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ना पड़ा। ❖ बंधुत्व और अखंडता का क्षरण- संविधान के अनुच्छेद 51ए (मूल कर्तव्य) का उल्लंघन करता है, जो सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की बात करता है। ❖ वैश्विक धारणा- भारत की डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वैश्विक रैंकिंग प्रभावित होती है।



दुरुपयोग के प्रकार/रूप	प्रकार	उदाहरण
	आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री	धार्मिक व्यक्तित्वों का मज़ाक उड़ाने वाली पोस्टों से FIR और साम्प्रदायिक हिंसा। उदाहरण: वजाहत खान की विवादास्पद पोस्ट पर कई कानूनी मामले दर्ज।
	मानहानिकारक राजनीतिक व्यंग्य	कार्टून और मीम्स कभी-कभी व्यंग्य और मानहानि के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। उदाहरण: हेमंत मालवीय का PM मोदी पर कार्टून न्यायिक जांच के दायरे में।
	घृणास्पद भाषण और गलत सूचना	सांप्रदायिक अपशब्द और फर्जी खबरें आम हैं, जिनके वास्तविक जीवन पर दुष्प्रभाव होते हैं।
	साइबरबुलीइंग और उत्पीड़न	राजनीतिक/वैचारिक रूप से प्रेरित ट्रोल आर्मी से धमकी और लक्षित उत्पीड़न।
प्रमुख न्यायिक टिप्पणियां	मामला	सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
	वजाहत खान (2025)	नागरिकों को सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने से बचना चाहिए; अधिकारों को जिम्मेदारी के साथ महत्व देना चाहिए।
	हेमंत मालवीय (2025)	अनुच्छेद 19 का उपयोग आत्म-नियमन और अनुशासन के साथ होना चाहिए।
	श्रेया सिंघल (2015)	ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया, लेकिन अस्पष्ट कानूनों और दुरुपयोग के खतरे पर जोर दिया।
आगे का रास्ता: स्वतंत्रता और नियमन में संतुलन	<ol style="list-style-type: none"> 1. डिजिटल सभ्यता ढांचा - नागरिकों में नैतिक डिजिटल व्यवहार के लिए स्वैच्छिक ऑनलाइन आचरण संहिता को बढ़ावा देना। 2. एल्गोरिदमिक निगरानी - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने सिफारिश तंत्र का ऑडिट करना चाहिए जिससे हानिकारक सामग्री को बढ़ावा न मिले। 3. क्षेत्रिज अधिकार न्यायशास्त्र (Horizontal Rights Jurisprudence) - डिजिटल इंटरैक्शन में निजी व्यक्तियों के बीच मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कानूनी ढांचे का विकास। 4. कानूनी उपकरणों का अद्यतन - आईटी अधिनियम, 2000 और सीआरपीसी में संशोधन ताकि वास्तविक अभिव्यक्ति को सीमित किए बिना घृणास्पद भाषण, डीपफेक और साइबरबुलिंग से निपटा जा सके। 5. डिजिटल साक्षरता अभियान - स्कूलों, कार्यस्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में नैतिक और सूचित इंटरनेट उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम। 	



Topic 2 - भारत की भाषाई धर्मनिरपेक्षता की रक्षा

Syllabus	भारतीय राजव्यवस्था संघवाद विविधता धर्मनिरपेक्षता
संदर्भ	महाराष्ट्र में हाल ही में गैर-मराठी भाषियों को निशाना बनाने वाले भाषा-आधारित तनाव ने एक बार फिर भारत की भाषाई विविधता की रक्षा की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष और संघीय संरचना का एक मूलभूत पहलू है। भाषाई सङ्घाव सुनिश्चित करना राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय और समावेशी शासन के लिए आवश्यक है।
धर्मनिरपेक्षता क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ परिभाषा: धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है, किसी भी धर्म को न तो विशेषाधिकार प्रदान करता है और न ही दमन करता है, और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। ❖ भारतीय संदर्भ: भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक तटस्थता से आगे बढ़कर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सक्रिय रूप से रक्षा करती है - यह "सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता" का मॉडल है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं:

सिद्धांत	संवैधानिक समर्थन
धार्मिक स्वतंत्रता	अनुच्छेद 25: किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
कोई राज्य धर्म नहीं	राज्य किसी भी धर्म से संबद्ध या उसका पक्षधर नहीं है।
समान व्यवहार	सभी धार्मिक और भाषाई पहचानों के लिए समान सम्मान और संरक्षण।
सांस्कृतिक अधिकार	अनुच्छेद 29: भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए।

भाषाई विविधता के लिए संवैधानिक प्रावधान

प्रावधान	विवरण
अनुच्छेद 343	देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है; अंग्रेज़ी को औपचारिक प्रयोजनों के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई है।
अनुच्छेद 345	राज्य किसी भी भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए अधिकृत हैं।
अनुच्छेद 29	अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार
अनुच्छेद 350A और 350B	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति
आठवीं अनुसूची	22 अनुसूचित भाषाओं की सूची (मूल रूप से 14)

2011 जनगणना डेटा	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 121 भाषाएं और 270 मातृभाषाएं दर्ज की गईं। ❖ 96.7% से अधिक भारतीय 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक बोलते हैं।
वर्तमान चुनौतियां और भाषाई संघर्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ हिंदी थोपने का विरोध: <ul style="list-style-type: none"> > दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्य स्थानीय पहचान की रक्षा हेतु हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। > तमिलनाडु का द्रविड़ आंदोलन तमिल गौरव और अंग्रेजी को तटस्थ विकल्प के रूप में बढ़ावा देता है। ❖ महाराष्ट्र में हाल की हिंसा: <ul style="list-style-type: none"> > गैर-मराठी भाषी निवासियों पर भाषा-आधारित हमले बढ़ते भाषाई संकीर्णतावाद को दर्शाते हैं। > यह भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भावना (लोकाचार) के लिए खतरा है।



	<p>❖ गैर-अनुसूचित भाषाओं का हास:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ कई जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएँ आधिकारिक मान्यता और शैक्षिक-प्रशासनिक समर्थन की कमी के कारण संकट में हैं।
भाषाई धर्मनिरपेक्षता क्यों महत्वपूर्ण है?	<ol style="list-style-type: none"> 1. विविधता में एकता को संरक्षित करता है: भारत की पहचान बहुभाषिकता में निहित है, जो सांस्कृतिक संघवाद को पोषित करती है। 2. बहुसंख्यकवाद को रोकता है: भाषाई प्रभुत्व अलगाव और उप-राष्ट्रवाद को जन्म दे सकता है। 3. सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करता है: सभी भाषाओं के सम्मान से शासन और समाज में भागीदारी और गरिमा सुनिश्चित होती है। 4. संवैधानिक नैतिकता को कायम रखता है: अनुच्छेद 29, 30 और 350 सभी भाषाई समूहों के समान संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करते हैं।
आगे का रास्ता: भारत के भाषाई ताने-बाने की रक्षा	<p>❖ संघीय भाषा नीति को मजबूत करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ केंद्र को राज्यों की भाषाई स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से आधिकारिक संचार और भर्ती में। ➢ एकल भाषा थोपने से बचें; इसके बजाय बहुभाषिकता और सद्भाव को बढ़ावा दें। <p>❖ शिक्षा में भाषाई बहुलवाद को बढ़ावा देना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ NEP 2020 के बहुभाषी शिक्षा के दृष्टिकोण को लागू करें, जिसमें कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर हो। ➢ पाठ्यक्रम में एकीकरण के माध्यम से जनजातीय और लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करें। <p>❖ संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ अनुच्छेद 350B के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की सक्रिय नियुक्ति और सशक्तिकरण। ➢ राज्यों को अनुच्छेद 350A लागू करने के लिए सुनिश्चित करें, ताकि मातृभाषा-आधारित प्राथमिक शिक्षा सक्षम हो। <p>❖ जिम्मेदार राजनीति को प्रोत्साहित करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ राजनीतिक नेताओं को भाषा-आधारित लोकलुभावनवाद या ध्रुवीकरण से बचना चाहिए। ➢ समावेशी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें जो भाषाई विविधता का सम्मान करता हो। <p>❖ लघु भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ डिजिटल प्लेटफॉर्म, AI और भाषा तकनीकों के माध्यम से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा दिया जा सकता है (जैसे: भाषिणी ऐप, DIKSHA प्लेटफॉर्म)।
निष्कर्ष	<p>भारत की भाषाई विविधता न केवल एक सांस्कृतिक संपदा है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के तहत एक संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। हिंदी प्रचार या अल्पसंख्यक भाषाओं को हाशिए पर धकेलने के माध्यम से एकरूपता थोपने के प्रयास राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर कर सकते हैं। भाषाई न्याय और पारस्परिक सम्मान सुनिश्चित करना भारत की 'विविधता में एकता' को संरक्षित करने और इसके लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत करने का एकमात्र रास्ता है।</p>



Topic 3 - गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967

Syllabus	राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जुलाई 2025 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एलगार परिषद मामले में याचिकाओं को खारिज करते हुए UAPA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। ❖ न्यायालय ने UAPA के दायरे, संवैधानिक संरेखण, और विधायी क्षमता से संबंधित कानूनी व्याख्याओं को स्पष्ट किया।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रमुख कानूनी निष्कर्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ निवारक निरोध कानून नहीं: <ul style="list-style-type: none"> > हालांकि इसमें "निवारण" शब्द का उपयोग है, UAPA को निवारक निरोध कानून के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। > यह अनुच्छेद 22(3) का उल्लंघन नहीं करता, जो कठोर शर्तों के तहत निवारक निरोध की अनुमति देता है। ❖ संसद की विधायी क्षमता: संसद को अधिकार है: <ul style="list-style-type: none"> > सूची I (केंद्र सूची) का प्रविष्टि 9: "रक्षा, विदेशी मामलों, या भारत की सुरक्षा से संबंधित कारणों के लिए निवारक निरोध।" > अनुच्छेद 22: निवारक निरोध और प्रक्रिया से संबंधित विशेष कानूनों की अनुमति देता है। ❖ मौलिक अधिकारों की चुनौती खारिज: <ul style="list-style-type: none"> > न्यायालय ने दावों को खारिज किया कि UAPA अनुच्छेद 14 (समानता), 19 (स्वतंत्रता), और 21 (जीवन और स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है। > UAPA को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में संवैधानिक रूप से वैध और उचित माना गया।
UAPA, 1967 – प्रमुख प्रावधान	<p>उद्देश्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकना। ❖ यह भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून है। <p>मुख्य विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ दायरा: <ul style="list-style-type: none"> > गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियां। > प्रतिबंधित समूहों का समर्थन/सदस्यता। ❖ कार्यपालिका की शक्तियाँ: <ul style="list-style-type: none"> > केंद्र सरकार व्यक्तियों/संगठनों को आतंकवादी घोषित कर सकती है। > संगठनों पर प्रतिबंध, संपत्ति जब्त करना। ❖ कठोर जमानत शर्तें: <ul style="list-style-type: none"> > प्रूफ का भार आरोपी पर (Reverse burden of proof)। > धारा 43D(5) के तहत ज़मानत पर प्रतिबंध। ❖ प्रमुख संशोधन: <ul style="list-style-type: none"> > 2004: POTA के निरसन के बाद आतंकवाद से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। > 2019: व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ❖ संवैधानिक समर्थन: <ul style="list-style-type: none"> > सूची I, प्रविष्टि 9 – राष्ट्रीय सुरक्षा कानून > अनुच्छेद 22(7) – निवारक निरोध प्रावधान > बॉम्बे HC (2025): UAPA संवैधानिक है, मनमाना नहीं है, और निवारक निरोध कानून नहीं है।



Topic 4 - “समाजवाद” और “पंथनिरपेक्षता”

Syllabus	भारतीय संविधान, संशोधन, मूल ढांचा सिद्धांत
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना (Preamble) में “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्दों को शामिल करने की आलोचना की, इसे “सनातन की आत्मा” से विचलन बताया। ये शब्द 42वें संशोधन अधिनियम (1976) के माध्यम से जोड़े गए थे और बाद के संवैधानिक बदलावों के बावजूद बरकरार रहे।
प्रस्तावना (Preamble) के बारे में	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्णन: बेरुबारी संघ मामला (1960) में “निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी” बताया। यह संविधान के विजन स्टेटमेंट के रूप में कार्य करती है। ❖ मूल प्रस्तावना (1950): <ul style="list-style-type: none"> > भारत को “संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य” घोषित किया। > न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित किया। ❖ 42वें संशोधन (1976) के माध्यम से परिवर्तन <ul style="list-style-type: none"> > आपातकाल (1975–77) के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू। > “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए। > भारत “संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य” बना। > बंधुत्व के साथ “अखंडता” भी जोड़ी गई।
42वें संशोधन के अन्य प्रमुख प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मौलिक कर्तव्यों (भाग IVA) को जोड़ा गया। ❖ नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) का विस्तार किया। ❖ न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में कटौती। ❖ निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन को स्थगित किया गया।
संशोधनों के पीछे तर्क	<ul style="list-style-type: none"> ❖ राजनीतिक संदर्भ: आपातकाल <ul style="list-style-type: none"> > संशोधन इंदिरा गांधी के वैचारिक रुख को प्रतिबिंबित करता है और इसका उद्देश्य कार्यपालिका का नियंत्रण मजबूत करना था। ❖ संसद बनाम न्यायपालिका: संपत्ति अधिकार विवाद <ul style="list-style-type: none"> > न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों (जैसे, संपत्ति) की रक्षा की। > राजनीतिक वर्ग सामाजिक-आर्थिक सुधारों को नीति निदेशक तत्वों के तहत प्राथमिकता देना चाहता था।

शब्दों को जोड़ने का कारण:

समाजवादी	<ul style="list-style-type: none"> ❖ इंदिरा गांधी की समाजवादी आर्थिक नीति को दर्शाता है: <ul style="list-style-type: none"> > बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969) > प्रिवी पर्स की समाप्ति (1971) > “गरीबी हटाओ” अभियान। ❖ नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देने का इरादा।
पंथनिरपेक्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ इंदिरा गांधी के अनुसार, यह संविधान निर्माताओं की मूल भावना को प्रतिबिंबित करता है।
अखंडता	<ul style="list-style-type: none"> ❖ राष्ट्रीय एकता के प्रति उत्पन्न खतरों की प्रतिक्रिया। ❖ क्षेत्रीय और सामाजिक अविभाज्यता पर ज़ोर। ❖ तत्कालीन कानून मंत्री एच.आर. गोखले द्वारा समर्थित।




संवैधानिक और न्यायिक स्थिति	<ul style="list-style-type: none">❖ प्रस्तावना की प्रकृति:<ul style="list-style-type: none">> बेरुबारी मामले (1960) के अनुसार, प्रस्तावना:<ul style="list-style-type: none">■ कोई वास्तविक शक्ति का स्रोत नहीं।■ कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं मानी जाती।❖ पंथनिरपेक्षता संविधान में पहले से मौजूद:<ul style="list-style-type: none">> अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता> अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध> अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में समानता।❖ पंथनिरपेक्षता पर न्यायिक समर्थन:<ul style="list-style-type: none">> केशवानंद भारती मामला (1973): पंथनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा।> एस.आर. बोम्मई मामला (1994): पंथनिरपेक्षता केंद्र-राज्य संबंधों की आधारशिला।❖ समाजवाद और नीति निदेशक सिद्धांत:<ul style="list-style-type: none">> समाजवाद → नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित संवैधानिक आदर्श।> सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने का माध्यम।❖ हालिया न्यायिक निर्णय (2024):<ul style="list-style-type: none">> CJI संजीव खन्ना के नेतृत्व में SC बैंच (नवंबर 2024) ने "पंथनिरपेक्षता" और "समाजवाद" को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया तथा यह माना कि<ul style="list-style-type: none">■ ये शब्द न तो शासन को बाधित करते हैं, न ही अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।■ संविधान की मूल संरचना को नहीं बदलते।
निष्कर्ष	हालांकि "पंथनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, परंतु ये मूल्य संविधान में पहले से अंतर्निहित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय - समय पर इन्हें संविधान की मूल विशेषताएं माना है, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता और न ही इनकी भावना को कमजोर किया जा सकता है।

Topic 5 - हाई कोर्ट जज के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव

Syllabus	भारतीय राजव्यवस्था - न्यायपालिका
संदर्भ	केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ कथित कदाचार (भ्रष्टाचार) के कारण संवैधानिक निष्कासन प्रक्रिया शुरू की है, जिससे दुर्लभ न्यायिक महाभियोग तंत्र सक्रिय हुआ है।
जजों के निष्कासन के लिए कानूनी प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अनुच्छेद 124(4): सुप्रीम कोर्ट के जजों का निष्कासन। ❖ अनुच्छेद 217: हाई कोर्ट के जजों का निष्कासन। ❖ आधार: "साबित कदाचार या अक्षमता।"

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया



निष्कर्ष	न्यायिक निष्कासन एक दुर्लभ और कठिन प्रक्रिया है, जो न्यायिक जवाबदेही और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संतुलित करती है। इस तंत्र को लागू करने के लिए मजबूत साक्ष्य और राजनीतिक सहमति आवश्यक है।
----------	---



Topic 6 - राष्ट्रपति संदर्भ: राज्यपाल की सहमति में देरी (Presidential Reference)

Syllabus	राजव्यवस्था और शासन - राज्यपाल
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किए हैं। ❖ यह स्पष्टता मांगी गई है कि क्या न्यायालय राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपालों को निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेने का निर्देश दे सकते हैं। ❖ मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ अगस्त 2025 के मध्य से इस मामले की सुनवाई करेगी।
पृष्ठभूमि: अप्रैल 2025 का ऐतिहासिक फैसला	<ul style="list-style-type: none"> ❖ तमிலनாடு मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा 10 पुनः पारित विधेयकों पर सहमति में देरी असंवैधानिक है। ❖ पहली बार, कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों पर न्यायिक रूप से लागू की जा सकने वाली समयसीमा निर्धारित की। ❖ इसके बाद, राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने 14 संवैधानिक प्रश्नों को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजा।
अनुच्छेद 143 क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति, कानून या तथ्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ❖ पहली बार 1951 में प्रयोग किया गया और स्वतंत्रता के बाद अब तक 14 बार किया जा चुका है। ❖ संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुना जाना अनिवार्य। ❖ कोर्ट की राय सलाहकारी (advisory) होती है, बाध्यकारी नहीं, परंतु इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यह सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction) में आता है। <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <pre> graph TD A[अनुच्छेद 143] --> B[संदर्भ के दो प्रकार] B --> C[अनुच्छेद 143(1)] B --> D[अनुच्छेद 143(2)] C --> E[सार्वजनिक महत्व या कानून संबंधी प्रश्न] E --> F[सुप्रीम कोर्ट राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है] D --> G[संविधान पूर्व संधियों और समझौतों के तहत विवाद] G --> H[ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को राय देना अनिवार्य है] F --> I[बाध्यकारी है या नहीं] I --> J[राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं] J --> K[संदर्भ अस्वीकार करने का न्यायालय का विवेकाधिकार] K --> L[(सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक राष्ट्रपति संदर्भ का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है।)] </pre> </div>
क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के माध्यम से अप्रैल 2025 के फैसले को संशोधित कर सकता है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ नहीं – अनुच्छेद 143 के तहत SC न्यायिक निर्णयों को पलट नहीं सकता। ❖ केवल पुनरावलोकन याचिका (Review) या उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) से निर्णय में बदलाव संभव है। ❖ लेकिन सुप्रीम कोर्ट: <ul style="list-style-type: none"> > निर्णय को प्रभावित किए बिना सिद्धांतों की व्याख्या कर सकता है (उदाहरण: प्राकृतिक संसाधन मामला, 2012)। > व्याख्या को विस्तारित कर सकता है (जैसे – कॉलेजियम संदर्भ, 1998)।



अब दांव पर क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सुप्रीम कोर्ट निम्न मुद्दों पर स्पष्टता दे सकता है: <ul style="list-style-type: none"> > संवैधानिक प्राधिकारियों के लिए समयसीमा की व्याख्या। > न्यायिक निर्देशों की सीमा। > विधेयकों पर मंजूरी की प्रक्रिया में राष्ट्रपति व राज्यपाल की भूमिका। ❖ SC अप्रैल 2025 के फैसले को रद्द नहीं करेगा, लेकिन भविष्य में केंद्र - राज्य संबंधों और संवैधानिक प्रक्रियाओं को आकार दे सकता है।
निष्कर्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अनुच्छेद 143 के तहत चल रहा यह राष्ट्रपति संदर्भ मामला भारत के संविधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ❖ हालांकि अप्रैल 2025 का फैसला यथावत रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की राय से न्यायपालिका, राष्ट्रपति व राज्यपालों के बीच शक्तियों के संतुलन पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश मिलने की संभावना है। ❖ यह कोई उलटफेर नहीं, बल्कि संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
Extra	<p>अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दो प्रकार के संदर्भ</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ अनुच्छेद 143(1) - सार्वजनिक महत्व या कानून संबंधी प्रश्न: ऐसे कानूनी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय, जो व्यापक महत्व के हों। <ul style="list-style-type: none"> > सुप्रीम कोर्ट राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। ❖ अनुच्छेद 143(2) - संविधान-पूर्व संघियों और समझौतों से उत्पन्न विवाद: बहुत कम उपयोग में आता है। आमतौर पर संघीय मुद्दों से जुड़ा होता है। <ul style="list-style-type: none"> > ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को राय देना अनिवार्य है। <p>कोर्ट द्वारा संदर्भ को स्वीकार/अस्वीकार करने का विवेकाधिकार</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक राष्ट्रपति संदर्भ का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ❖ स्पष्टीकरण देने वाले प्रमुख मामले: <ul style="list-style-type: none"> > विशेष अदालत विधेयक मामला (1978): सुप्रीम कोर्ट कारणों के साथ अस्वीकार कर सकता है। > इस्माइल फारूकी मामला (1994): यदि सवाल राजनीतिक या अत्यधिक साक्ष्यों पर आधारित हो तो SC मना कर सकता है। > अयोध्या केस (1993) व जम्मू-कश्मीर प्रवासी कानून केस (1982): कोर्ट ने प्रासंगिकता की कमी या लंबित रहने के कारण राय देने से इनकार किया। <p>सलाहकारी/परामर्शी राय की प्रकृति: बाध्यकारी या नहीं?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ अनुच्छेद 141 के तहत कोर्ट की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन यह अत्यधिक प्रभावकारी होती है। ❖ प्रमुख मामले: <ul style="list-style-type: none"> > सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात (1974): बाध्यकारी नहीं। > आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981): व्यावहारिक रूप से बाध्यकारी माना गया। > कावेरी मामला (1991): राय को “उचित महत्व” दिए जाने की बात कही गई।



Topic 7 - निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट

Syllabus	भारतीय राजव्यवस्था - संसद
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2026 के बाद पहली जनगणना से पहले (2011 के आधार पर) परिसीमन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। ❖ कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 170(3) केवल राज्यों पर लागू होता है, केंद्र शासित प्रदेशों पर नहीं, जैसे कि जम्मू-कश्मीर।
मुद्दा क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ एक याचिका में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शीघ्र परिसीमन की मांग की गई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के 2022 के परिसीमन को उदाहरण के रूप में पेश किया गया था। ❖ सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलना को खारिज करते हुए कहा कि वे अलग-अलग संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश: राज्यों में परिसीमन अनुच्छेद 170(3) के अंतर्गत होता है, जबकि जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं हैं। ❖ जम्मू-कश्मीर में परिसीमन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
संवैधानिक प्रावधान	<p>अनुच्छेद 170(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ राज्य विधानसभाओं के परिसीमन को 2026 के बाद पहली जनगणना तक के लिए स्थगित किया गया है। (87वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003)
परिसीमन क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ यह संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने और सीटों की संख्या तय करने की प्रक्रिया है, जो जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित होती है। ❖ यह कार्य परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) द्वारा किया जाता है। ❖ अनुच्छेद 82 के तहत, हर जनगणना के बाद संसद परिसीमन अधिनियम पारित करती है। ❖ अधिनियम के लागू होने के बाद, केन्द्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी।
परिसीमन आयोग के बारे में	<ul style="list-style-type: none"> ❖ परिसीमन अधिनियम के तहत गठित सांविधिक संस्था और राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद लागू होता है।। ❖ इसके निर्णय अंतिम होते हैं और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ❖ यह राष्ट्रपति की आदेश के बाद प्रभाव में आता है। ❖ संरचना: <ul style="list-style-type: none"> > सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज – अध्यक्ष > मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी द्वारा नामित चुनाव आयुक्त - सदस्य > संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त – सदस्य।
परिसीमन के उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ❖ वोट के मूल्य में समानता बनाए रखना ❖ जनसंख्या में हुए बदलाव को परिलक्षित करना (हालिया जनगणना के अनुसार) ❖ प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का सम्मान करना।
चयनात्मक रूप से परिसीमन करने के जोखिम	<ul style="list-style-type: none"> ❖ यह संवैधानिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। ❖ इससे अन्य राज्यों (जैसे पूर्वोत्तर राज्यों - असम, नागालैंड) की ओर से भी मांग उठ सकती है। ❖ यह चुनावी समानता और निष्पक्षता को खतरे में डाल सकता है।



अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Topic 1 - भारत के नेतृत्व में पर्यावरण से संबंधित गठबंधन

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संगठन / पर्यावरण / ऊर्जा सुरक्षा
खबरों में क्यों?	जुलाई 2025 में पीएम मोदी के ऐतिहासिक 5-राष्ट्र दौरे (घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया) के दौरान, नामीबिया ने आधिकारिक रूप से दो प्रमुख भारत-नेतृत्व वाली वैश्विक पहलों में शामिल हुआ: ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA) और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इनफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) ।
इस दौरे की अन्य प्रमुख बातें	<ul style="list-style-type: none"> ❖ नामीबिया में UPI लॉन्च करने के लिए MoU। ❖ उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना। ❖ दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना।
ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ लॉन्च: 9 सितंबर, 2023, भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। ❖ नेतृत्व: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ब्राजील – शीर्ष तीन इथेनॉल उत्पादक। ❖ उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, टिकाऊ जैव ईंधन अपनाने को तेज करना, और वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाना। ❖ वर्तमान सदस्यता (जुलाई 2025 तक): 29 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ❖ श्वेत पत्र 2025: GBA द्वारा फरवरी 2025 में जारी, भारत की गैर-अनाज आधारित जैव ईंधन (NGB) में विशाल संभावनाओं की पहचान की।
आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (CDRI)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ लॉन्च: सितंबर 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में पीएम मोदी द्वारा। ❖ मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत। ❖ प्रकार: बहु-हितधारक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। ❖ उद्देश्य: <ul style="list-style-type: none"> > जलवायु और आपदा जोखिमों का सामना करने के लिए लचीली अवसंरचना का निर्माण। > सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचार, और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। > सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए ज्ञान-साझाकरण को सक्षम करना। ❖ आर्थिक महत्व <ul style="list-style-type: none"> > लक्ष्य: 2050 तक \$10 ट्रिलियन लचीली अवसंरचना निवेश को प्रेरित करना। > लाभार्थी: वैश्विक स्तर पर 3 अरब से अधिक लोग, विशेष रूप से जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में।
प्रमुख कार्यक्रम: IRIS (इनफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ लॉन्च: COP26 (2021), ग्लासगो में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इनफ्रास्ट्रक्चर के तहत। ❖ फोकस: समुद्र तल वृद्धि, बाढ़, सुनामी के खिलाफ SIDS (छोटे द्वीपीय विकासशील देशों) का समर्थन। ❖ उद्देश्य: वित्त, साझेदारी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से द्वीपीय राष्ट्रों में अवसंरचना को मजबूत करना।
भारत-नेतृत्व वाली अन्य प्रमुख वैश्विक पहल	<ol style="list-style-type: none"> 1. इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) <ol style="list-style-type: none"> a. 2015, पेरिस (COP21) b. 2030 तक सौर ऊर्जा में \$1 ट्रिलियन निवेश जुटाना। c. 106 सदस्य देश। 2. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) <ol style="list-style-type: none"> a. अप्रैल 2023, भारत b. 7 बड़े बिल्लियों का संरक्षण – बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, चीता।



3. ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव
 - a. COP28, यूएई, 2023
 - b. स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों (जैसे, वनीकरण) को बढ़ावा देना, कार्बन क्रेडिट बाजारों से अलग।
4. लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (LiFE)
 - a. 2021, ग्लासगो (COP26)
 - b. व्यक्तिगत और सामूहिक जलवायु कार्बवाई के लिए टिकाऊ जीवनशैली प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

Topic 2 - भारत-यूएई रणनीतिक संबंध

Syllabus	अंतरराष्ट्रीय संबंध - मध्य पूर्व
संदर्भ	प्रधानमंत्री की 2015 की यात्रा के बाद - जो 34 वर्षों में पहली थी - भारत और यूएई के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले जो संबंध केवल एक खरीदार-विक्रेता तक सीमित थे, वे अब एक समग्र रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership - 2017) में प्रौद्योगिक हुए हैं।
आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ व्यापार में मील का पत्थर: द्विपक्षीय व्यापार \$100 अरब के पार, तय समय से पाँच वर्ष पहले। ❖ CEPA समझौता और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर ने नियांत्रित और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दिया। ❖ यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार (चीन और अमेरिका के बाद)। ❖ यूएई का एफडीआई: भारत में कुल \$23 अरब; केवल 2024 में \$4.5 अरब। ❖ डिजिटल सहयोग: <ul style="list-style-type: none"> > भारत का यूपीआई यूएई के आनी सिस्टम के साथ जुड़ा। > यूएई का जयवान कार्ड रूपे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित।
प्रमुख रणनीतिक सहयोग क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> ❖ परमाणु और स्वच्छ ऊर्जा: <ul style="list-style-type: none"> > यूएई अपनी 25% बिजली परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न करता है, और 2030 तक इसे दोगुना करने की योजना है। > भारत बराक (Barakah) नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में तकनीकी भागीदार है। > हरित हाइड्रोजन में सहयोग: <ul style="list-style-type: none"> ■ भारत: 5 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य। ■ यूएई: 2030 तक 1.4 मिलियन मीट्रिक टन। ❖ प्रौद्योगिकी और रक्षा: <ul style="list-style-type: none"> > भारतीय कंपनियां ड्रोन और तेजस के घटकों के संयुक्त उत्पादन में शामिल। > सैन्य अभ्यास: डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट साइक्लोन, और और भारत-फ्रांस-यूएई त्रिपक्षीय अभ्यास। > एआई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और सटीक चिकित्सा में साझेदारी। ❖ शिक्षा और नवाचार: <ul style="list-style-type: none"> > यूएई में भारतीय संस्थान: आईआईटी अबू धाबी, आईआईएम अहमदाबाद-दुबई, आईआईएफटी दुबई। > शैक्षणिक गतिशीलता और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना। ❖ महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स): <ul style="list-style-type: none"> > 2024 में लिथियम, कोबाल्ट, और दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) खनिजों को सुरक्षित करने के लिए समझौता जापन। > बैटरी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देने का लक्ष्य।
कनेक्टिविटी और भू-राजनीतिक सहयोग	<ul style="list-style-type: none"> ❖ IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर): कार्गो, ऊर्जा, और डिजिटल प्रवाह के लिए। ❖ I2U2 पहल (भारत, इजरायल, यूएई, अमेरिका): <ul style="list-style-type: none"> > खाद्य पार्क, 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। ❖ यूएई का CEPA नेटवर्क भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। ❖ भारत-अफ्रीका सेतु: अफ्रीका आउटरीच के लिए भारत-यूएई सहयोग।



द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भू-राजनीति: यूएई की चीन के साथ रणनीतिक निकटता और पाकिस्तान के साथ वित्तीय संबंध। ❖ व्यापार संबंधी चिंताएँ: चुनिंदा वस्तुओं (जैसे, सोना/चांदी) पर अति-निर्भरता, संभावित दुरुपयोग। ❖ श्रम अधिकार: भारतीय श्रमिक कफ़ाला प्रणाली (प्रायोजक-आधारित रोजगार) से प्रभावित। ❖ संवाद अंतराल: औपचारिक 2+2 संवाद या संस्थागत ढांचे की अनुपस्थिति। ❖ निर्यात बाधाएँ: हलाल प्रमाणन मानदंड भारतीय खाद्य निर्यात को सीमित करते हैं।
निष्कर्ष	भारत-यूएई संबंध भविष्य के लिए तैयार, बहु-क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो रहे हैं। ऊर्जा संक्रमण, तकनीकी नवाचार, रक्षा, और कनेक्टिविटी में समान हितों के साथ, दोनों राष्ट्र उभरती वैश्विक व्यवस्था में वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य रखते हैं।

Topic 3 - क्या अमेरिकी साम्राज्यवाद वैश्विक खतरा है?

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध - विश्व व्यवस्था
संदर्भ	इजरायल-ईरान संघर्ष के दौरान ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमलों ने एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ा दी है और अमेरिकी साम्राज्यवाद, बहुध्वंशीयता और भारत की भूमिका पर बहस को फिर से जीवंत कर दिया है।
साम्राज्यवाद क्या है?	साम्राज्यवाद उस नीति को कहा जाता है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी शक्ति का विस्तार सैन्य बल, आर्थिक प्रभुत्व या राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से करता है, अक्सर कमज़ोर देशों की कीमत पर।

साम्राज्यवाद के प्रकार और प्रभाव

प्रकार	विवरण	उदाहरण
उपनिवेशवादी	प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण	भारत में ब्रिटिश राज
आर्थिक	संसाधनों का दोहन, बाजार पर नियंत्रण	लैटिन अमेरिका में अमेरिकी कंपनियाँ
नव-साम्राज्यवादी	ऋण, तकनीक, प्रतिबंधों के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण	इराक में अमेरिका (तेल), चीन की BRI (कथित ऋण-जाल कूटनीति)
सांस्कृतिक	भाषा, मीडिया, मूल्यों के माध्यम से प्रभुत्व	हॉलीवुड, बिग टेक, वैश्विक मीडिया

परिणाम	<ul style="list-style-type: none"> ❖ संप्रभुता की हानि ❖ संसाधनों का शोषण ❖ सांस्कृतिक क्षरण ❖ भू-राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि।
अमेरिकी साम्राज्यवाद की प्रमुख विशेषताएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सैन्य हस्तक्षेप: ईरान पर हमला इराक (2003) और अफगानिस्तान में की गई पिछली कार्रवाइयों की तरह है—वैश्विक सहमति के बिना। ❖ एकपक्षीय: <ul style="list-style-type: none"> > अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के आदेशों और वैश्विक सहमति की अवहेलना। > हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का चयनात्मक उपयोग। ❖ साम्राज्यवादी पैटर्न: <ul style="list-style-type: none"> > स्थायी विदेशी सैन्य अड्डे (जैसे जापान, कतर, डिएगो गार्सिया)। > प्रतिबंधों, निगरानी और सत्ता परिवर्तन को नियंत्रण के उपकरण के रूप में उपयोग करना। > मीडिया और तकनीकी एकाधिकारों के माध्यम से वैश्विक नैरेटिव पर नियंत्रण।



कारक	<p>ट्रम्प की वापसी और वैश्विक अस्थिरता</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ "अमेरिका फर्स्ट" रीडक्स: ट्रम्प की वापसी आक्रामक सैन्यवाद और संरक्षणवाद का संकेत देती है। ❖ नीति की अनिश्चितता: विदेश नीति में अस्थिरता वैश्विक असुरक्षा को बढ़ाती है। <p>चीन कारक और शीत युद्ध 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ अमेरिका का पतन बनाम चीन का उदय: प्रौद्योगिकी (AI, 5G), अर्थव्यवस्था (युआनीकरण या डिडॉलराइजेशन), इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी (BRI) और चीन के वैश्विक प्रभाव में वृद्धि। ❖ रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता: एशिया-प्रशांत में तनाव (ताइवान, दक्षिण चीन सागर, AUKUS) → नए शीत युद्ध की आहट।
बहुध्वीयता और भारत की रणनीतिक दुविधा	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत के लिए अवसर: <ul style="list-style-type: none"> > वैश्विक शासन (UNSC, G20, BRICS) में भारत को बड़ी भूमिका। > विभिन्न गुटों में रणनीतिक साझेदारी। > उभरती शक्तियों के लिए अधिक स्थान। ❖ चुनौतियाँ: <ul style="list-style-type: none"> > अमेरिका के साथ रक्षा समझौते (जैसे COMCASA, BECA, LEMOA) → स्वायत्तता में कमी। > QUAD का रणनीतिक झुकाव भारत को वैश्विक दक्षिण से अलग कर सकता है। ❖ भारत की कमजोर प्रतिक्रिया: <ul style="list-style-type: none"> > ईरान 2025 पर अमेरिकी हमले पर चुप्पी → वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व की दावेदारी कमजोर।
वैश्विक दक्षिण की भूमिका	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विकासशील देशों पर प्रभाव: <ul style="list-style-type: none"> > अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियाँ असमानता, ऋण बोझ को बढ़ाती हैं और निष्पक्ष व्यापार को बाधित करती हैं। ❖ भारत की भूमिका: <ul style="list-style-type: none"> > BRICS+, G77, दक्षिण-दक्षिण सहयोग का समर्थन करना चाहिए। > जलवायु न्याय, तकनीकी लोकतंत्रीकरण के लिए वकालत करना। > नव-साम्राज्यवादी नियंत्रण का विरोध करना।
निष्कर्ष	<p>अमेरिकी साम्राज्यवाद वैश्विक शांति के लिए खतरा है और कमजोर देशों की संप्रभुता को कमजोर करता है। भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए - अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए वैश्विक दक्षिण के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष और बहुध्वीय विश्व व्यवस्था स्थापित हो।</p>



Topic 4 - भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता 2025

Syllabus	अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 24 जुलाई 2025 को व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए। ❖ इसके साथ ही इंडिया-यूके विजन 2035 लॉन्च किया गया, जो रोडमैप 2030 का स्थान लेगा, और व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेगा।
FTA की प्रमुख विशेषताएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत के 99% निर्यात यूके में शुल्क-मुक्त होंगे। ❖ ब्रिटेन की 90% टैरिफ लाइनों में कटौती; 85% पर अगले 10 वर्षों में जीरो-ड्यूटी। ❖ यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, श्रम गतिशीलता (mobility) और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को शामिल करता है। ❖ दोहरा अंशदान अभिसमय (DCC): इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी, जिससे भारतीय कंपनियों की लागत कम होगी। → भारतीय प्रतिभाओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
क्षेत्र-वार लाभ (Sector-Wise Benefits)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ वस्त्र और परिधान <ul style="list-style-type: none"> > 1,143 उत्पाद शुल्क-मुक्त - UK बाज़ार में 5% हिस्सेदारी वृद्धि की संभावना। > बांग्लादेश, कंबोडिया पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। ❖ श्रम गतिशीलता और सेवाएं <ul style="list-style-type: none"> > 75,000 भारतीयों को यूके सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट। > 36 सेवा क्षेत्रों तक पहुंच; 35 यूके क्षेत्रों में पेशेवरों को काम करने की अनुमति। > प्रतिवर्ष 1,800 शेफ, योग प्रशिक्षक, कलाकारों को अनुमति। ❖ कृषि <ul style="list-style-type: none"> > 95% से अधिक कृषि उत्पाद शुल्क-मुक्त — फल, सब्जियां, मिलेट, मसाले शामिल। > 3 वर्षों में 20% कृषि निर्यात वृद्धि की संभावना > डेयरी व संवेदनशील उत्पाद संरक्षित ❖ समुद्री उत्पाद <ul style="list-style-type: none"> > झींगा, टूना, फिशमील पर टैरिफ समाप्त। > \$5.4 बिलियन क्षमता वाला यह क्षेत्र तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ❖ इंजीनियरिंग उत्पाद <ul style="list-style-type: none"> > वर्तमान निर्यात ₹4.28 बिलियन → 2030 तक दुगना होने की संभावना। > टैरिफ में 18% तक कटौती। ❖ फार्मा और चिकित्सा उपकरण <ul style="list-style-type: none"> > जेनेरिक दवाएँ, एक्स-रे, ईसीजी मशीनें शुल्क-मुक्त। > UK के \$30 बिलियन फार्मा आयात बाजार में बड़ी हिस्सेदारी। ❖ रसायन और प्लास्टिक <ul style="list-style-type: none"> > रासायनिक निर्यात में 30-40% वृद्धि संभव; प्लास्टिक में FY26 तक 15% वृद्धि। ❖ चमड़ा व फुटवियर <ul style="list-style-type: none"> > 16% टैरिफ समाप्त - आगरा, कोल्हापुर, कानपुर में MSMEs को बढ़ावा। ❖ खिलौने, खेल, रत्न और आभूषण <ul style="list-style-type: none"> > चीन, वियतनाम पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। > आभूषण निर्यात 2-3 वर्षों में दोगुना हो सकता है।



प्रभाव	<p>रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ द्विपक्षीय व्यापार में 39% वृद्धि; £25.5 बिलियन वार्षिक बढ़ोतरी की उम्मीद। ❖ 2040 तक भारत में यूके का निर्यात 60% बढ़ सकता है। ❖ RCEP से बाहर निकलने के बाद भारत के वैश्विक व्यापार पुनर्संतुलन को बढ़ावा। <p>भू-राजनीतिक महत्व</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ पश्चिमी उच्च-आय अर्थव्यवस्थाओं की ओर भारत के झुकाव को मजबूती प्रदान करता है। ❖ वैश्विक FTA वार्ताओं में भारत की विश्वसनीयता में वृद्धि। ❖ यह समझौता लोकतांत्रिक मूल्यों और रणनीतिक दृष्टिकोण की समानता पर आधारित है।
निष्कर्ष	भारत-ब्रिटेन FTA एक ऐतिहासिक समझौता है जो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा, श्रम गतिशीलता और वैश्विक एकीकरण को मजबूत करता है, और उच्च मानक वाले आर्थिक साझेदारियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Topic 5 - अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में वानुअतु मामला (2025)

Syllabus	पर्यावरण, वैश्विक संस्थाएं
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ एक ऐतिहासिक सलाहकार राय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने यह घोषित किया कि स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण तक पहुँच एक मूलभूत मानव अधिकार है।
मुद्दा क्या था?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने ICJ से यह स्पष्ट करने को कहा: <ul style="list-style-type: none"> > जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए राज्यों के कानूनी दायित्व क्या हैं? > यदि राज्य जलवायु कार्रवाई में असफल रहते हैं तो कानूनी परिणाम क्या होंगे? ❖ यह पहल वानुअतु (एक लघु द्वीपीय विकासशील देश - SIDS) के नेतृत्व में शुरू की गई, जो जलवायु संकट को अस्तित्व का खतरा मानता है।
ICJ द्वारा संबोधित प्रमुख प्रश्न	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जलवायु नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों के कर्तव्य क्या हैं? ❖ जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए राज्यों पर कानूनी दायित्व क्या होंगे?
ICJ की सलाह (2025) के प्रमुख निष्कर्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ स्वच्छ पर्यावरण एक मानवाधिकार के रूप में <ul style="list-style-type: none"> > जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत। > इसे प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून (customary international law) के तहत मान्यता मिली। ❖ बाध्यकारी संधि दायित्व <ul style="list-style-type: none"> > UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत राज्य निम्न कार्य करने के लिए बाध्य हैं: <ul style="list-style-type: none"> ■ NDCs (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) के माध्यम से उत्सर्जन में कटौती। ■ जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। ■ अनुकूलन (Adaptation) व शमन (Mitigation) की सक्रिय रणनीतियाँ अपनाना। ❖ कार्रवाई न करने के कानूनी परिणाम <ul style="list-style-type: none"> > निष्क्रियता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कृत्य (internationally wrongful act) माना गया। > इसके निम्न परिणाम हो सकते हैं: <ul style="list-style-type: none"> ■ कार्य बंद करना और पुनरावृत्ति न करना। ■ प्रभावित देशों/समुदायों को मुआवज़ा। ❖ ऐतिहासिक जवाबदेही <ul style="list-style-type: none"> > ICJ ने विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन को स्वीकार किया। > यह प्रतिपूर्ति दावे (reparation claims) का मार्ग प्रशस्त करता है। ❖ सभी के प्रति उत्तरदायित्व (Erga Omnes Obligations): <ul style="list-style-type: none"> > जलवायु उत्तरदायित्व अब सार्वभौमिक हैं (सभी राज्यों के प्रति)।



	<ul style="list-style-type: none"> > कोई भी देश इन पर आपत्ति उठा सकता है, भले ही सीधे प्रभावित न हो। ❖ जलवायु विज्ञान को कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना > जलवायु क्षति को ट्रेस करने हेतु ICJ ने वैज्ञानिक प्रमाण को स्वीकार किया।
भारत और वैश्विक जलवायु कानून के लिए प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण) को मजबूती मिलेगी। ❖ NGT और सुप्रीम कोर्ट में जलवायु-संबंधी याचिकाओं को बल मिलेगा। ❖ UNFCCC वार्ताओं में भारत और SIDS की आवाज़ मजबूत होगी। ❖ वैश्विक स्तर पर भविष्य में जलवायु संबंधी मुकदमों के लिए कानूनी मिसाल कायम करता है।
निष्कर्ष	<p>ICJ की यह सलाहकारी राय जलवायु न्याय के क्षेत्र में मील का पत्थर है, जो पर्यावरणीय अधिकारों और राज्य की जवाबदेही को कानूनी रूप से मजबूत करती है। इसका प्रभाव भारत समेत पूरी दुनिया की जलवायु शासन प्रणाली के लिए दूरगामी होगा।</p>

Topic 6 - ब्रह्मपुत्र पर चीन का मेगा डैम

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर्यावरण
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर एक विशाल जलविद्युत बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। ❖ यह बांध, जिसे विश्व का सबसे बड़ा (60,000 मेगावाट) बताया जा रहा है, भारत और बांग्लादेश के लिए जल-प्रबंधन, पारिस्थितिकी और सामरिक दृष्टि से गंभीर खतरे उत्पन्न करता है।
परियोजना का स्थान और आकार	<ul style="list-style-type: none"> ❖ स्थान: मेदोग काउंटी, तिब्बत के ग्रेट बैंड क्षेत्र में स्थित – जहां से नदी भारत में गिलिंग (अरुणाचल में सियांग नदी) के पास प्रवेश करती है। ❖ क्षमता: 60,000 मेगावाट (यांगत्से पर श्री गॉर्जेस डैम से तीन गुना बड़ा)।
भारत के लिए प्रमुख चिंताएँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जल विज्ञान संबंधी खतरे <ul style="list-style-type: none"> > “वॉटर बम” का जोखिम: बाँध से अचानक पानी छोड़ जाने पर अरुणाचल और असम में फ्लैश फ्लॉड का खतरा। > नदी के प्रवाह में बदलाव से सूखा या बाढ़ की संभावना। ❖ पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता <ul style="list-style-type: none"> > क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय है, बाँध भूकंप-प्रवण क्षेत्र में स्थित है। > नदी की जैव-विविधता, वनस्पति और जीव-जंतुओं के लिए खतरा। ❖ स्थानीय लोगों की आजीविका पर खतरा <ul style="list-style-type: none"> > मछली पकड़ने, खेती और सियांग घाटी की जनजातीय संस्कृति पर संकट। > पानी की कमी या बाढ़ से यह “अस्तित्व का संकट” बन सकता है।
चीन का पक्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ परियोजना पर संप्रभु अधिकार का दावा करता है। ❖ डेटा साझा करने और आपदा न्यूनीकरण पर सीमित सहयोग देता है।
भारत की प्रतिक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जुलाई 2025 के उद्घाटन के बाद कोई औपचारिक विरोध नहीं। ❖ चीन से निचले क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने का आग्रह। ❖ कूटनीतिक सहभागिता बढ़ी: <ul style="list-style-type: none"> > कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू (जून 2025)। > विदेश सचिव संवाद (मार्च 2025)। > चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू (जुलाई 2025)।



सुझाए गए समाधान	<ul style="list-style-type: none">❖ तकनीकी एवं अवसंरचना उपाय<ul style="list-style-type: none">➢ भारतीय भंडारण बांधों का निर्माण (जैसे अपर सियांग परियोजना) – प्रवाह नियंत्रित करने हेतु।➢ अधिशेष जल को मोड़ने के लिए आंतरिक जलमार्गों का निर्माण।➢ ब्रह्मपुत्र-गंगा बेसिन लिंक पर विचार – अधिशेष जल को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने हेतु।❖ क्षेत्रीय और कूटनीतिक समन्वय<ul style="list-style-type: none">➢ चीन से पारदर्शी डेटा साझा करने की मांग करें।➢ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ चेतावनी प्रोटोकॉल के लिए सहयोग करें।➢ जल पुनर्वितरण के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की योजनाओं को सक्रिय करें।
निष्कर्ष	ब्रह्मपुत्र पर चीन की मेगा डैम परियोजना भारत की जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी और संप्रभुता के लिए खतरा है। भारत को बहुआयामी रणनीति की जरूरत है: बुनियादी ढांचे को मजबूत करें, कूटनीति को सक्रिय करें, और क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा दे ताकि सक्रिय और टिकाऊ जल शासन सुनिश्चित किया जा सके।





अर्थव्यवस्था

Topic 1 - भारत में कॉर्पोरेट निवेश में हास

Syllabus	अर्थव्यवस्था निवेश रणनीति
संदर्भ	भारत का कॉर्पोरेट क्षेत्र कर कटौती और कम ब्याज दरों के रूप में नीतिगत समर्थन के बावजूद निजी निवेश में कमी का सामना कर रहा है। असल चुनौती कमज़ोर घरेलू मांग में निहित है, जो कंपनियों को क्षमता विस्तार या नए निवेश चक्रों के लिए प्रतिबद्ध होने से रोक रही है।
भारत में कॉर्पोरेट निवेश की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ❖ निवेश-से-जीडीपी अनुपात कोविड-पूर्व स्तरों से नीचे बना हुआ है। > FY 2022-23 में, कॉर्पोरेट्स ने GDP का 12% निवेश किया, जबकि 2004-2008 के तेज़ वृद्धि के वर्षों में यह 16% था। ❖ कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड लाभ और अनुकूल मौद्रिक नीति के बावजूद, पूंजी निर्माण कमज़ोर बना हुआ है। > सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF): 2024: 9% → 2025: 6.4% ↓ ❖ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में मामूली वृद्धि दिखाई देती है, जो औद्योगिक ठहराव को दर्शाता है।
कॉर्पोरेट निवेश में मंदी के कारण	<ol style="list-style-type: none"> 1. कमज़ोर उपभोग मांग <ol style="list-style-type: none"> a. उपभोक्ता खर्च, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न-आय वर्गों में, सुस्त बना हुआ है। b. कंपनियाँ ऐसी स्थिति में निवेश करने से हिचकती हैं जब मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा हो। 2. अप्रभावी कर कटौती <ol style="list-style-type: none"> a. कॉर्पोरेट कर दर को 2019 में 30% से घटाकर 22% किया गया। b. मुनाफा बढ़ा, लेकिन कंपनियों ने कर्ज कम करने या भंडार बनाने का विकल्प चुना, न कि निवेश। i. कैपेक्स खर्च केवल ऑपरेटिंग कैश फ्लो का 70% था – 2004 से अब तक का सबसे कम स्तर। 3. सस्ता ऋण ≠ अधिक निवेश <ol style="list-style-type: none"> a. RBI ने ब्याज दरें कम कीं और तरलता में सुधार किया। b. फिर भी, रिटर्न की अनिश्चितता के कारण नए प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट ऑफर्टेक कम है। 4. वैश्विक अनिश्चितताएं <ol style="list-style-type: none"> a. भूराजनीतिक तनाव (जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, इसाइल-ईरान युद्ध), ट्रेड वॉर (जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ), और उच्च वैश्विक ब्याज दरें निर्यात और निवेशक भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। b. वैश्विक प्रतिकूलताएं कंपनियों को बाहरी मांग पर निर्भर होने से हतोत्साहित करती हैं। 5. FDI में भारी गिरावट: FY25 में \$353 मिलियन, जबकि 2024 में \$10 बिलियन → 96% की गिरावट।
मुख्य मुद्दा क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ निवेश निर्णय केवल मुनाफे या ब्याज दरों से नहीं, बल्कि भविष्य की मांग की अपेक्षाओं से प्रेरित होते हैं। ❖ जब कंपनियाँ स्थायी मांग की संभावना देखती हैं, तो वे अधिक निवेश करती हैं। ❖ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, COVID के बाद और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मांग अस्थिर बनी हुई है।
सुझाई गई नीतिगत प्रतिक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> ❖ घरेलू उपभोग को बढ़ावा > मांग को बढ़ाने के लिए वित्तीय उपायों का उपयोग: <ul style="list-style-type: none"> ■ ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक व्यय का विस्तार। ■ लक्षित आय समर्थन योजनाएं (जैसे DBT या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) लागू करना। ■ शहरी रोजगार सृजन और MSME पुनरुद्धार पर ध्यान देना।



- ❖ **मांग-निवेश चक्र बनाना**
 - सरकारी खर्च से मांग बढ़ती है → बढ़ती मांग से बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है → लाभकारी कंपनियां निवेश के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करती हैं, जिससे रोजगार सृजन और गुणक प्रभाव पड़ता है।
- ❖ **संरचनात्मक सुधार**
 - व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार, नियामक बाधाओं को कम करना।
 - इनपुट लागत कम करने के लिए लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना।
 - ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को प्रोत्साहित करना।

Topic 2 - भारत का व्यापार घाटा

Syllabus	अर्थव्यवस्था व्यापार भुगतान संतुलन (BoP)
संदर्भ	Q1 FY25 में भारत का व्यापार घाटा 9.4% कम हुआ, जो मजबूत सेवा निर्यात और बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात के कारण संभव हुआ।
मुख्य अवधारणाएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भुगतान संतुलन (BoP): शेष विश्व के साथ सभी आर्थिक लेनदेन का रिकॉर्ड। <ul style="list-style-type: none"> ➢ चालू खाता: वस्तुओं/सेवाओं का व्यापार, प्रेषण। ➢ पूंजी खाता: पूंजी हस्तांतरण, गैर-वित्तीय संपत्तियां। ❖ व्यापार घाटा: <ul style="list-style-type: none"> ➢ सूत्र: आयात - निर्यात ➢ विदेशी मुद्रा के शुद्ध बहिर्वाह को दर्शाता ➢ व्यापार अधिशेष = निर्यात > आयात <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Components of BoP</p> <pre> graph TD BoP[Components of BoP] --> CA[Current Account] BoP --> Cap[Capital Account] CA --> EIG[Export & Import of Goods] CA --> EIS[Export & Import of Services] CA --> UT[Unilateral Transfers] CA --> IRP[Income Receipts & Payments] Cap --> BL[Borrowings & Lendings] Cap --> I[Investments] Cap --> CFER[Change in Foreign Exchange Reserves] </pre> <p style="text-align: right;">है।</p> </div>
शीर्ष व्यापार साझेदार	<ul style="list-style-type: none"> ❖ शीर्ष निर्यात गंतव्य: यूएसए (\$25.5 बिलियन, +22.1%) ❖ शीर्ष आयात स्रोत: चीन (\$29.7 बिलियन, +16%)

Q1 FY 25 व्यापार हाइलाइट्स

मेट्रिक	मूल्य (Q1 FY25)	% परिवर्तन (YoY)
कुल निर्यात	\$210.3 बिलियन	+6%
➢ वस्तु निर्यात	\$112.2 बिलियन	+2%
➢ सेवा निर्यात	\$98.1 बिलियन	+11%
कुल आयात	\$230.6 बिलियन	+4.4%
व्यापार घाटा	\$20.3 बिलियन	↓ 9.4%



Topic 3 - भारत में असमानता की स्थिति

Syllabus	सामाजिक न्याय समावेशी विकास, गरीबी और असमानता
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट दावा करती है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां उपभोग असमानता सबसे कम है, जिसमें गिनी गुणांक 0.288 (2011-12) से घटकर 0.255 (2022-23) होने का उल्लेख है। ❖ हालांकि, विश्व असमानता डेटाबेस (WID) और अन्य स्वतंत्र अध्ययनों से यह आशावाद चुनौतीपूर्ण है, जो भारत में आय और संपत्ति असमानता में वृद्धि दर्शाते हैं।
भारत में असमानता के प्रकार	<p>1. उपभोग असमानता (Consumption Inequality)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ यह घरेलू खर्च के पैटर्न में अंतर को मापती है। ❖ गिनी गुणांक (विश्व बैंक): 2011-12: 0.288 → 2022-23: 0.255 ↓ ❖ आलोचना: <ul style="list-style-type: none"> > निम्न-आय समूहों में "उपभोग समायोजन" के कारण वास्तविक असमानता को कम करके आंका जाता है। > आय या संपत्ति असमानताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। > ऋण या सरकारी हस्तांतरण के कारण उपभोग बढ़ सकता है, न कि आय वृद्धि के कारण। <p>2. आय असमानता (Income Inequality)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ गिनी गुणांक (WID 2023): 0.61 — वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक। ❖ शीर्ष 1% आय हिस्सा: 1991 में 11% से बढ़कर 2023 में 22% से अधिक। ❖ निचले 50% की हिस्सेदारी: 13% से भी कम (WID, ऑक्सफैम रिपोर्ट्स)। ❖ भारत की 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक है, जिनकी आय अस्थिर और कम होती है। <p>3. संपदा की असमानता (Wealth Inequality)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ गिनी गुणांक (WID 2023): 0.75 ❖ शीर्ष 10% के पास कुल राष्ट्रीय संपदा का 77% हिस्सा; शीर्ष 1% के पास अकेले 40.5% (ऑक्सफैम 2024)। ❖ भारत में कोई औपचारिक संपदा जनगणना नहीं होती; अनुमान फोर्ब्स डेटा, ITRs फाइलिंग, SEBI पर निर्भर।
संवैधानिक और नीतिगत ढांचा	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अनुच्छेद 38(2): राज्य को आय और अवसरों की असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। ❖ अनुच्छेद 39(c): संपत्ति और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास। ❖ नीतियां और योजनाएं: <ul style="list-style-type: none"> > मनरेगा, पीएम-किसान, पीएम- स्वनिधि, JAM ट्रिनिटी > लेकिन इन योजनाओं में लीकेज, बहिष्करण और लक्ष्य निर्धारण की समस्याएँ हैं।

उच्च असमानता के प्रभाव

क्षेत्र	निहितार्थ
आर्थिक विकास	कमजोर मांग → निजी निवेश में कमी → धीमी जीडीपी वृद्धि
सामाजिक स्थिरता	असंतोष, सांप्रदायिक विभाजन, अपराध और लोकलुभावन राजनीति को बढ़ावा
राजकोषीय नीति	अभिजात वर्ग प्रगतिशील करों का विरोध करते हैं → प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कराधान
रोजगार	रोजगारविहीन विकास और निम्न-गुणवत्ता रोजगार
लोकतांत्रिक स्वास्थ्य	असमान राजनीतिक भागीदारी और नीति निर्माण में अभिजात वर्ग का कब्जा

**आगे का रास्ता**

- ❖ **प्रगतिशील कराधान**
 - > संपदा और विरासत कर को पुनः लागू करें।
 - > डिजिटल अर्थव्यवस्था, पूंजीगत लाभ, विलासिता संपत्तियों को शामिल कर कर आधार को व्यापक करें।
- ❖ **क्षमता में सार्वजनिक निवेश**
 - > स्वास्थ्य सेवा (वर्तमान में ~2% जीडीपी), शिक्षा (~2.9% जीडीपी) पर खर्च बढ़ाएं।
 - > पोषण और कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं (NEP 2020, PMKSY 4.0)।
- ❖ **श्रम बाजार सुधार**
 - > औपचारिकीकरण को बढ़ावा, ESI, PF, और गिग-वर्कर संरक्षण को मजबूत करें (सामाजिक सुरक्षा संहिता)।
- ❖ **डेटा पारदर्शिता**
 - > आयकर, आधार, SECC, और NSSO डेटाबेस को मिलाकर असमानता सूचकांक बनाएं।
 - > हर 10 साल में संपदा जनगणना आयोजित करें।
- ❖ **समावेशी विकास ढांचा**
 - > MSME, कृषि-मूल्य शृंखलाओं, और श्रम-गहन विनिर्माण (PLI योजनाएं) को बढ़ावा दें।
 - > क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित करें (पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य पिछड़े हैं)।

निष्कर्ष

हालांकि उपभोग असमानता कम प्रतीत हो सकती है, भारत में आय और पिछड़े असमानता गहरी रूप से जड़े जमाए हुए है। कल्याण-केंद्रित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है - भारत को कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है ताकि वास्तविक आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके।

Topic 4 - क्या जैव ईंधन वास्तव में जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है?

Syllabus	पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था
संदर्भ	भारत ने 2025-26 तक E20 (20% एथेनॉल सम्मिश्रण) का लक्ष्य रखा है, जो मूल लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले पूरा हो रहा है। जैव ईंधन भारत की जीवाश्म ईंधन आयात को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का प्रमुख घटक है।
जैव ईंधन क्या हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जैव ईंधन ऐसे नवीकरणीय (renewable) ईंधन होते हैं जो जैविक स्रोतों (biomass), जैसे गन्ना, मक्का, कृषि अपशिष्ट, और शैवाल से प्राप्त होते हैं। इनमें शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> > बायोएथेनॉल (शर्करा व स्टार्च से) > बायोडीज़ल (वनस्पति तेल/वसा से) > बायोगैस / बायो-CNG (जैविक अपशिष्ट से) > बायोहाइड्रोजन (गैसीकरण या किण्वन द्वारा) ❖ भारत में सम्मिश्रण 2014 में 1.6% था, जो मार्च 2025 तक 18.4% पहुँच गया है (लक्ष्य: 2025-26 तक 20%)।

जैव ईंधन का वर्गीकरण:

पीढ़ी	स्रोत	चिंता
पहली पीढ़ी	खाद्य फसलें (गन्ना, मक्का)	भोजन बनाम ईंधन
दूसरी पीढ़ी	कृषि अपशिष्ट, लिग्नोसेल्यूलोज	उच्च लागत, प्रौद्योगिकी-गहन
तीसरी पीढ़ी	शैवाल	अनुसंधान प्रक्रिया में
चौथी पीढ़ी	आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीव	तकनीकी बाधाएं और पर्यावरणीय प्रभाव



जैव ईंधन के लाभ	<ol style="list-style-type: none"> तेल आयात बिल में कमी – पेट्रोल के विकल्प के रूप में उपयोग। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी – कार्बन-न्यूट्रल: जैविक वृद्धि के दौरान अवशोषित CO_2, उपयोग के दौरान उत्सर्जन की भरपाई करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है – कृषि अवशेषों और डिस्टिलरी के माध्यम से रोजगार सृजन। सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है – जैसे, पशु अपशिष्ट से बायो-सीएनजी। कचरे से समृद्धि – कृषि अपशिष्ट जलाने में कमी।
सीमाएं और चिंताएं	<ol style="list-style-type: none"> खाद्य बनाम ईंधन दुविधा – गन्ना व अनाज का उपयोग खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकता है। उच्च जल उपयोग – विशेषकर गन्ना। भूमि पर दबाव – E20 हेतु ~70 लाख हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता। महंगी तकनीक – 2G व 3G बायोफ्यूल्स के लिए उन्नत प्रोसेसिंग जरूरी। उत्सर्जन में विविधता – भूमि उपयोग में बदलाव होने पर शुद्ध GHG लाभ घट सकता है।
वैश्विक और स्थानीय उदाहरण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अमूल का व्हे-टू-इथेनॉल (Whey-to-Ethanol) पायलट (गुजरात) → डेयरी अपशिष्ट को बायोइथेनॉल (96.7% शुद्धता) में परिवर्तित करता है — ₹700 करोड़ की संभावना ❖ गुजरात बायो-सीएनजी पहल → अपशिष्ट-से-ऊर्जा और इथेनॉल डिस्टिलरी में ₹3,300 करोड़ से अधिक का निवेश। ❖ वैश्विक संदर्भ: <ul style="list-style-type: none"> > ब्राजील: E27 इथेनॉल मिश्रण > यूएसए: मक्का इथेनॉल में अग्रणी > ईयू: उन्नत जैव ईंधन को अनिवार्य करता है (RED-II निर्देश)।
सुझाए गए उपाय	<ul style="list-style-type: none"> ❖ शैवाल-आधारित और अपशिष्ट-आधारित ईंधन को बढ़ावा देना। ❖ भोजन-जल-ऊर्जा सुरक्षा संतुलन सुनिश्चित करना। ❖ प्रौद्योगिकी R&D और विकेन्द्रीकृत संयंत्रों को प्रोत्साहन देना। ❖ निगरानी और जीवनचक्र उत्सर्जन लेखांकन को मजबूत करना।
निष्कर्ष और आगे का रास्ता	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जैव ईंधन आवश्यक हैं, लेकिन अभी तक जीवाश्म ईंधन का पूर्ण विकल्प नहीं हैं। ❖ उनकी सफलता फीडस्टॉक विविधीकरण, 2G/3G ईंधन में R&D, और टिकाऊ भूमि-जल उपयोग पर निर्भर करती है।
भारत की जैव ईंधन रणनीति: प्रमुख नीतियां	<ul style="list-style-type: none"> ❖ राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन (2021) ❖ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018) – 2025-26 तक E20 का अद्यतन लक्ष्य ❖ SATAT योजना – बायो-सीएनजी को बढ़ावा देती है ❖ 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित ❖ OMCs (तेल विपणन कंपनियों) द्वारा इथेनॉल खरीद नीति ❖ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण और खरीद समझौते ❖ क्षतिग्रस्त अनाज और अतिरिक्त चावल को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग (कैबिनेट की मंजूरी के साथ)।



Topic 5 - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) – जून 2025

Syllabus	अर्थशास्त्र श्रम और रोजगार
संदर्भ	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने PLFS जून 2025 बुलेटिन जारी किया, जो भारत के रोजगार रुझानों में प्रमुख अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
प्रमुख डेटा (आयु - 15+ वर्ष)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): <ul style="list-style-type: none"> ➢ कुल: 54.2% ➢ ग्रामीण: 56.1% शहरी: 50.4% श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) = कुल कार्यबल/कार्यशील आयु जनसंख्या ❖ श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): <ul style="list-style-type: none"> ➢ कुल: 51.2% ➢ ग्रामीण: 53.3% शहरी: 46.8% श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) = नियोजित लोग/कुल जनसंख्या * 100 ❖ बेरोजगारी दर (UR): <ul style="list-style-type: none"> ➢ कुल: 5.6% (स्थिर) ➢ ग्रामीण: ~5.0% शहरी: 5.6% ➢ युवा (15-29 वर्ष): 15.3% (↑) बेरोजगारी दर = बेरोजगारों की संख्या/कुल कार्यबल * 100 ❖ महिला श्रम बल भागीदारी: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ग्रामीण: 35.2% शहरी: 25% ➢ महिला WPR: 30.2% (कुल), 33.6% (ग्रामीण), 22.9% (शहरी)
PLFS के बारे में	<ul style="list-style-type: none"> ❖ लाँच: अप्रैल 2017 में NSO (MoSPI के तहत) द्वारा ❖ उद्देश्य: ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के लिए LFPR, WPR, UR को ट्रैक करना ❖ प्रयुक्त दृष्टिकोण: <ul style="list-style-type: none"> ➢ सामान्य स्थिति (US) - वार्षिक अनुमान ➢ वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) - मासिक/तिमाही अपडेट ❖ महत्व <ul style="list-style-type: none"> ➢ पुराने रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण को प्रतिस्थापित किया। ➢ श्रम, कौशल, और रोजगार नीतियों को आकार देने में मदद करता है। ➢ महिलाओं, युवाओं, और ग्रामीण कार्यबल के बीच रोजगार रुझानों को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण।



Topic 6 - RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - जून 2025

Syllabus	भारतीय अर्थव्यवस्था
संदर्भ	RBI की जून 2025 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत मजबूत मैक्रो फंडमेंटल्स और लचीले वित्तीय क्षेत्र के समर्थन से वैश्विक विकास को संचालित कर रहा है।
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के बारे में	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रकाशक: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष में दो बार प्रकाशित। ❖ उद्देश्य: <ul style="list-style-type: none"> > वित्तीय प्रणाली की स्थिति का आकलन > प्रणालीगत जोखिमों की पहचान > नीति निर्माण का मार्गदर्शन।
मैक्रोइकॉनॉमिक हाइलाइट्स	<ul style="list-style-type: none"> ❖ FY26 के लिए GDP आउटलुक: <ul style="list-style-type: none"> > भारत की वास्तविक GDP वृद्धि पूर्वानुमान: <ul style="list-style-type: none"> ■ FY 2025-26 में 6.5% ■ FY 2026-27 में 6.7% > वृद्धि के लिए जोखिम: <ul style="list-style-type: none"> ■ बाह्य जोखिम: वैश्विक व्यापार विखंडन, अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ोतरी ■ जलवायु जोखिम: अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं, जलवायु झटके। ■ भू-राजनीतिक जोखिम: रूस-यूक्रेन, ईरान-इज़राइल संघर्ष और नीतिगत अनिश्चितता। ❖ मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरता: <ul style="list-style-type: none"> > CPI मुद्रास्फीति (मई 2025): 2.8% (फरवरी 2019 के बाद सबसे कम) > RBI के लक्ष्य बैंड $4\% \pm 2\%$ के भीतर > RBI को लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचे की प्रभावशीलता पर भरोसा।
वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता	<ul style="list-style-type: none"> ❖ समग्र वित्तीय स्थिरता: मजबूत पूंजी बफर, निम्न NPA, बेहतर लाभप्रदता के कारण भारतीय वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता में सुधार। ❖ परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार: <ul style="list-style-type: none"> > SCBs का सकल NPA (GNPA): <ul style="list-style-type: none"> ■ मार्च 2024 में घटकर 2.8% (पिछले 12 वर्षों में सबसे कम) ■ मार्च 2025 तक और गिरकर 2.5% होने का अनुमान (सामान्य स्थिति में) ■ गंभीर तनाव स्थिति में 3.4% तक बढ़ने की संभावना। > शुद्ध NPA (NNPA) अनुपात: <ul style="list-style-type: none"> ■ मार्च 2024 में रिकॉर्ड न्यूनतम 0.6%। > क्षेत्रवार एवं बैंक प्रकार के अनुसार विवरण: <ul style="list-style-type: none"> ■ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs): GNPA गंभीर तनाव में 3.7% से बढ़कर 4.1% हो सकता है। ■ कृषि क्षेत्र: - सबसे अधिक GNPA अनुपात: 6.2%। ■ व्यक्तिगत ऋण (Personal Loans): <ul style="list-style-type: none"> ● सबसे कम GNPA: 1.2%। ● RBI ने असुरक्षित डिजिटल ऋण में वृद्धि के कारण जोखिम की चेतावनी दी। ❖ विदेशी मुद्रा भंडार: <ul style="list-style-type: none"> > अब तक का सर्वाधिक स्तर: 642 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जून 2025)।



Topic 7 - रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना

Syllabus	अर्थव्यवस्था शासन रोजगार
संदर्भ	औपचारिक रोजगार सृजन, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को रोजगार आधारित प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी। यह 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित व्यापक रोजगार और कौशल विकास पहल का हिस्सा है।
ईएलआई (ELI) योजना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ❖ बजटीय आवंटन: ₹99,446 करोड़ ❖ अवधि: 2 वर्ष (1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027) ❖ कवरेज: औपचारिक रोजगार सृजन, विशेष रूप से प्रथम बार नौकरी पाने वाले और विनिर्माण क्षेत्र के लिए। ❖ भाग: प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज का हिस्सा – रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए 4.1 करोड़ युवाओं को लक्षित (बजट 2024-25) → ₹2 लाख करोड़ ❖ लक्ष्य: 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन (1.92 करोड़ प्रथम बार कर्मचारी + 2.6 करोड़ नियोक्ताओं के माध्यम से)।
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> ❖ रोजगार के औपचारिकरण को बढ़ावा देना। ❖ ईपीएफओ नामांकन के माध्यम से प्रथम बार के कर्मचारियों का समर्थन करना। ❖ नियोक्ताओं, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना। ❖ रोजगार सृजन को वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा समावेशन के साथ जोड़ना।
ईएलआई योजना की संरचना	<p>योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है:</p> <p>भाग A: प्रथम बार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ पात्रता: EPFO में पंजीकृत प्रथम बार कर्मचारी (वेतन ₹1 लाख तक)। ❖ लाभ: एक माह का EPF वेतन (अधिकतम ₹15,000), दो किस्तों में: <ul style="list-style-type: none"> > 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद > 12 महीने + वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद। ❖ लक्षित लाभार्थी: 1.92 करोड़ नए कर्मचारी <p>भाग B: नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ फोकस: मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर ❖ पात्रता: नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक नए कर्मचारियों को नियुक्त और बनाए रखना होगा। ❖ न्यूनतम नए कर्मचारी: <ul style="list-style-type: none"> > 2 कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए) > 5 कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए) ❖ नियोक्ताओं को मासिक प्रोत्साहन: <ul style="list-style-type: none"> > ₹1,000 (वेतन \leq ₹10,000) > ₹2,000 (वेतन ₹10,001 – ₹20,000) > ₹3,000 (वेतन ₹20,001 – ₹1 लाख) ❖ अवधि: <ul style="list-style-type: none"> > 2 वर्ष (सभी क्षेत्रों के लिए) > 4 वर्ष (केवल विनिर्माण के लिए) ❖ अनुमानित नौकरियां: 2.6 करोड़
प्रोत्साहन भुगतान तंत्र	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भाग A: आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)। ❖ भाग B: PAN लिंक्ड नियोक्ता खातों में भुगतान।



महत्व	<ul style="list-style-type: none"> ❖ EPFO को अनिवार्य बनाकर भारत के असंगठित कार्यबल को औपचारिक रूप देना। ❖ वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। ❖ केवल अल्पकालिक भर्ती नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नौकरी स्थायित्व को प्रोत्साहित करना। ❖ उद्योगों द्वारा स्वागत (जैसे, EY India ने इसे "मील का पत्थर" कहा)। ❖ कुछ ट्रेड यूनियनों द्वारा आलोचना (जैसे, CITU ने इसे नियोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना बताया)।
निष्कर्ष	<p>ईएलआई योजना भारत की श्रम नीति में रोजगार-केंद्रित एक प्रमुख हस्तक्षेप है। हालांकि यह कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित करती है, इसकी सफलता कुशल कार्यान्वयन, क्षेत्रीय भागीदारी और नियामक निगरानी पर निर्भर करेगी, ताकि महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रोजगार स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।</p>

Topic 8 - भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)

Syllabus	शासन, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
संदर्भ	<p>एआई तेजी से भारत के आर्थिक, संस्थागत और सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख सक्षमकर्ता बन रहा है। तेजी से बढ़ते एआई क्षेत्र में, बाजार और युवा कार्यबल के साथ, भारत के पास महत्वपूर्ण अवसर हैं - लेकिन साथ ही कुछ तत्काल चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।</p>
भारत का एआई परिदृश्य: प्रमुख तथ्य	<ul style="list-style-type: none"> ❖ एआई बाजार 2027 तक \$17 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद (25-35% सीएजीआर)। ❖ भारत में 600,000+ एआई पेशेवर (वैश्विक एआई प्रतिभा का 16%)। ❖ एआई कार्यबल में भारत का विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान।
एआई समावेशी आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है	<ul style="list-style-type: none"> ➢ आर्थिक और रोजगार प्रभाव <ul style="list-style-type: none"> ➢ 2027 तक 1.25 मिलियन नौकरियों का सृजन संभव (डेलॉयट-नासकॉम)। ➢ जेनरेटिव एआई उपकरणों के माध्यम से उत्पादकता में 66% की वृद्धि। ➢ एलएलएम और जेनरेटिव एआई निर्णय लेने, सिमुलेशन और स्वचालन को बेहतर बनाते हैं। ❖ क्षेत्रीय परिवर्तन <ul style="list-style-type: none"> ➢ लॉजिस्टिक्स: पांडोएआई (PandoAI) जैसे एआई उपकरण आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करते हैं, लागत कम करते हैं। ➢ कृषि: आईटीसी मार्स (ITC MAARS) जैसे मंच 20 लाख+ किसानों को सलाह प्रदान करते हैं। ➢ जैव विज्ञान: एआई वैक्सीन डिजाइन, जैव-विनिर्माण को तेज करता है (बायोई3 नीति)। ➢ ऊर्जा: स्मार्ट ग्रिड, भविष्यवाणी लोड संतुलन को सक्षम करता है; 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य में मदद करता है। ➢ सार्वजनिक सेवाएँ: आरबीआई का म्यूलहंटर (MuleHunter) जैसे उपकरण वित्तीय धोखाधड़ी को रोकते हैं।
एआई-नेतृत्व वाले विकास में बाधाएँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियाँ <ul style="list-style-type: none"> ➢ कम कुशल, अनौपचारिक श्रमिकों (विशेष रूप से महिलाएँ, ग्रामीण) के लिए नौकरी विस्थापन का जोखिम। ➢ डिजिटल विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट/डिवाइस पहुंच (65% आबादी)। ➢ कंप्यूट अंतर: भारत वैश्विक डेटा का 20% उत्पन्न करता है, लेकिन इसके पास केवल 2% कंप्यूट क्षमता है। ➢ राष्ट्रीय समन्वय की कमी (इंडियाएआई को पूर्ण अधिकार नहीं)। ❖ संस्थागत और तकनीकी बाधाएँ <ul style="list-style-type: none"> ➢ हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर आयात पर उच्च निर्भरता। ➢ अकादमिक-उद्योग अनुसंधान और विकास सहयोग की कमजोरी। ➢ लिंग अंतर: महिलाएँ स्वचालन के प्रति संवेदनशील नौकरियों में केंद्रित। ➢ जेनएआई का पर्यावरणीय लागत (एलएलएम का उच्च ऊर्जा उपयोग)। ➢ अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ की तरह अंतर-मंत्रालयी एआई रणनीति का अभाव।



सरकारी द्वारा किए गए उपाय	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रमुख मिशन और कार्यक्रम <ul style="list-style-type: none"> ➢ इंडियाएआई मिशन: एआई अनुसंधान, कंप्यूट, कौशल के लिए ₹10,372 करोड़ का परिव्यय। ➢ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन: स्वदेशी चिप उत्पादन के लिए \$10 बिलियन। ➢ इंडियाएआई कंप्यूट पुश: अनुसंधान क्षमता के लिए 10,000 जीपीयू खरीदने की योजना। ➢ एआई अवसर कोष (2024): 500,000 श्रमिकों (महिलाओं/अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान) को कौशल प्रदान करना। ❖ एमएसएमई और स्टार्टअप सक्षमता <ul style="list-style-type: none"> ➢ डीएक्स-एज: एमएसएमई के लिए एआई उपकरण (सीआईआई, नीति आयोग, एआईसीटीई)। ➢ सर्वम एआई, कृत्रिम: स्थानीय भाषाओं और उपयोग-मामलों के लिए भारत-केंद्रित एलएलएम। ❖ कौशल और शिक्षा <ul style="list-style-type: none"> ➢ पर्यूचरस्किल्स प्राइम: युवाओं को एआई, डेटा साइंस, डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण। ➢ ग्रो विद गूगल: एशिया-प्रशांत में 60 मिलियन से अधिक प्रशिक्षित, जिनमें भारत भी शामिल। ❖ नवाचार और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र <ul style="list-style-type: none"> ➢ बायोई3 नीति: एआई-चालित स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी (वैक्सीन डिजाइन, दवा स्क्रीनिंग)। ➢ इंडियाएआई नवाचार केंद्र: उद्योग-अकादमिक सहयोग केंद्र। ➢ इंडियाएआई डेटासेट्स मंच: एआई अनुसंधान के लिए सार्वजनिक डेटासेट।
समावेशी एआई भविष्य के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता	<ul style="list-style-type: none"> ❖ संस्थागत और रणनीतिक <ul style="list-style-type: none"> ➢ अंतर-मंत्रालयी एआई समन्वय समिति की स्थापना। ➢ परिवर्तनों और जोखिमों के प्रबंधन के लिए एआई प्रबंधन संस्थानों का निर्माण। ❖ शिक्षा और कौशल <ul style="list-style-type: none"> ➢ केवल आईआईटी नहीं, बल्कि आईटीआई, टियर 2/3 कॉलेजों में एआई पाठ्यक्रम को एकीकृत करना। ➢ लिंग-संवेदनशील, बहुभाषी कौशल मंच को बढ़ावा देना। ❖ अनुसंधान और विकास और उद्योग लिंकेज <ul style="list-style-type: none"> ➢ अकादमिक-उद्योग अनुसंधान और विकास, बौद्धिक संपदा साझाकरण, फेलोशिप को प्रोत्साहित करना। ❖ बुनियादी ढांचा समानता <ul style="list-style-type: none"> ➢ ग्रामीण/टियर-2 शहरों में कंप्यूट और कनेक्टिविटी का विस्तार। ➢ डेटा केंद्रों और एज एआई तैनाती में निवेश। ❖ नैतिकता और शासन <ul style="list-style-type: none"> ➢ पारदर्शी, व्याख्या योग्य एआई के लिए ढांचे का निर्माण। ➢ पक्षपात, गलत सूचना, और पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए एलएलएम का नियमन। ❖ वैश्विक और स्थानीय साझेदारी <ul style="list-style-type: none"> ➢ समावेशी एआई मानकों के लिए जीपीएआई (GPAI) और जी20 में भारत की भूमिका का लाभ उठाना। ➢ भारत-विशेष समस्याओं को हल करने वाले स्थानीय स्टार्टअप्स का समर्थन। ❖ श्रम बाजार परिवर्तन <ul style="list-style-type: none"> ➢ स्वचालन-संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण। ➢ एआई-संवर्धित भूमिकाओं में पुनर्कोशल और संक्रमण पथ प्रदान करना।
निष्कर्ष	भारत में एआई में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिभा, डिजिटल आधार और नीतिगत गति मौजूद है। लेकिन समावेशिता, समता और स्थिरता को परिवर्तन के मूल में बने रहना होगा। सुनियोजित सुधारों और वैश्विक नेतृत्व के साथ, भारत मानव-केंद्रित, नैतिक और समावेशी एआई नवाचार का केंद्र बन सकता है।



Topic 9 - सहकारी क्षेत्र

Syllabus	अर्थव्यवस्था
संदर्भ	सहकारिता मंत्रालय का चौथा स्थापना दिवस आनंद, गुजरात में आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के सहकारी क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए पांच-सूत्री रोडमैप का अनावरण किया।
पांच-सूत्री संवृद्धि रोडमैप	<ul style="list-style-type: none"> ❖ लोग: सहकारिता का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुँचना चाहिए। ❖ PACS: ग्रामीण पहुंच के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को मजबूत करना। ❖ प्लेटफॉर्म: सहकारी समितियों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना। ❖ नीति: सहकारी कानूनों और ढांचे में सुधार। ❖ समृद्धि: किसानों, मजदूरों, और ग्रामीण गरीबों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना।
उपलब्धियां और पहल	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पिछले 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक PACS पंजीकृत। ❖ पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित। ❖ 3 राष्ट्रीय स्तर की डेयरी सहकारी समितियां बनाई गईं। ❖ मोज़रेला संयंत्र जैसी नए डेयरी इकाइयां शुरू।
सहकारी समितियां - संवैधानिक प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अनुच्छेद 19(1)(c): सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में। ❖ अनुच्छेद 43B (DPSP): स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक, और पेशेवर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ❖ भाग IXB (97वां संशोधन): <ul style="list-style-type: none"> > अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़े गए। > बोर्ड का कार्यकाल: 5 वर्ष, अधिकतम 21 सदस्य। > अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर अनिवार्य चुनाव। > लेखा-परीक्षा और जवाबदेही प्रावधानों को मजबूत किया गया।
PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) क्या हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ग्राम-स्तरीय संस्थान जो अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करते हैं। ❖ जिला और राज्य सहकारी बैंकों से जुड़ी होती है। ❖ छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, और सिंचाई के लिए सस्ता ऋण प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष	सहकारिता को समावेशी और ग्रामीण आर्थिक विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों और संवैधानिक समर्थन के साथ, भारत का सहकारी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए तैयार है।

Topic 10: भारत का विदेशी व्यापार - अदृश्य व्यापार में वृद्धि

Syllabus	अर्थव्यवस्था - भुगतान संतुलन (BoP)																		
संदर्भ	आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेख किया गया है कि अदृश्य - मुख्य रूप से सेवा निर्यात और प्रेषण - वस्तु व्यापार को पीछे छोड़ते हुए भारत के विदेशी व्यापार अधिशेष के प्रमुख चालक बन गए हैं।																		
भारत का सेवा क्षेत्र: प्रमुख आकर्षण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ FY25 में भारत के GVA में 55% योगदान (FY14 में 50.6% से वृद्धि)। ❖ प्रतिवर्ष 6-8% की वृद्धि, विशेष रूप से कोविड के बाद (FY25 में 8.3%)। ❖ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक (2005 में 1.9% → 4.3% वैश्विक हिस्सेदारी)। ❖ कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाएं = कुल सेवा निर्यात का ~70%। <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>India's industry-wise share of total services sector exports</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Industry</th> <th>Share (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Software Services</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>Business Services</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Transportation</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Travel</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Financial Services</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Insurance</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Communication</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source: RBI</p> </div>	Industry	Share (%)	Software Services	49%	Business Services	23%	Transportation	11%	Travel	8%	Financial Services	4%	Insurance	2%	Communication	1%	Others	1%
Industry	Share (%)																		
Software Services	49%																		
Business Services	23%																		
Transportation	11%																		
Travel	8%																		
Financial Services	4%																		
Insurance	2%																		
Communication	1%																		
Others	1%																		



व्यापार में प्रेषण और इन्विजिबल्स	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रेषणों का बड़ा प्रवाह (2024-25 → \$135.46 बिलियन) चालू खाता घाटे (CAD) को स्थिर करने में मदद करता है। ❖ विदेशी मुद्रा आय में अधिक योगदान : सेवाएं और प्रेषण > वस्तुएँ।
मजबूती और अवसर	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कुशल कार्यबल, विशेष रूप से आईटी और वित्तीय सेवाओं में। ❖ डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, स्वच्छ भारत जैसी पहलों से समर्थन। ❖ वैश्विक स्तर पर मल्टी-बिलियन डॉलर की सेवा अर्थव्यवस्था बनने की अपार संभावना।
चुनौतियां	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कमजोर बुनियादी ढांचा (डिजिटल और भौतिक दोनों)। ❖ एआई, क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स जैसी उच्च-मूल्य वाली सेवाओं के लिए कौशल का अभाव। ❖ जटिल नियम, सेवा नियांत के लिए कमजोर बाज़ार पहुँच। ❖ वैश्विक माँग में उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशील।
सरकारी उपाय	<ul style="list-style-type: none"> ❖ चैंपियन सेक्टर एक्शन प्लान - 12 क्षेत्र (जैसे पर्यटन), लक्ष्य: 2028 तक \$50.9 बिलियन। ❖ जन धन योजना - वित्तीय समावेशन के लिए 47 करोड़ से अधिक खाते। ❖ पूँजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाई गई। ❖ आयुष्मान भारत, पीएलआई योजनाएँ जैसे कार्यक्रम सेवा-संबद्ध क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष	भारत का सेवा क्षेत्र विदेशी व्यापार, रोजगार सृजन, और विकास को संचालित करने वाला “ अदृश्य हाथ ” है। बेहतर बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, नियामक सुधारों, और वैश्विक पहुँच के साथ, भारत वास्तव में “ विश्व का कार्यालय ” बन सकता है।

Topic 11 - RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)

Syllabus	अर्थव्यवस्था - वित्तीय समावेशन
संदर्भ	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अद्यतन FI-Index जारी किया, जो भारत में वित्तीय पहुँच और उपयोग में सुधार को दर्शाता है।
वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि सभी लोग और व्यवसाय किफायती, जिम्मेदार और आवश्यक वित्तीय सेवाओं (जैसे बैंकिंग, बीमा, पेंशन, ऋण) तक पहुँच बना सकें और उनका प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें। ❖ यह समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, और असमानता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ RBI द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति को मापने हेतु शुरू किया गया एक समग्र सूचकांक। ❖ समग्र स्कोर (0 से 100): <ul style="list-style-type: none"> > 0 = समावेशिता का अभाव, 100 = पूर्ण समावेशन। ❖ 3 प्रमुख मापदंडों पर आधारित: <ul style="list-style-type: none"> > पहुँच (Access) - 35%: बैंक शाखाएँ, एटीएम, आदि। > उपयोग (Usage) - 45%: सेवाओं के उपयोग की आवृत्ति व गहराई। > गुणवत्ता (Quality) - 20%: वित्तीय साक्षरता, सेवा समानता, शिकायत निवारण।
FY 2024-25 की मुख्य विशेषताएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ FI-Index 64.2 से बढ़कर 67 ($\uparrow 4.3\%$)। ❖ औपचारिक वित्तीय प्रणालियों के साथ गहरे एकीकरण को दर्शाता है।
वित्तीय समावेशन का महत्व	<ul style="list-style-type: none"> ❖ उद्यमिता, रोजगार सृजन, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। ❖ संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (UN SDGs) में से 7 लक्ष्यों का समर्थन करता है। ❖ कमजोर वर्गों में आर्थिक लचीलापन को सुदृढ़ करता है।



वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख सरकारी योजनाएँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रधानमंत्री जन धन योजना: आधारभूत बैंकिंग तक पहुँच, DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा; 2025 तक 54.5 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। ❖ अटल पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय और सामाजिक सुरक्षा; 7.3 करोड़ से अधिक नामांकन। ❖ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): निम्न-आय वर्ग के लिए सस्ता जीवन और दुर्घटना बीमा; 70 करोड़+ लाभार्थी। ❖ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सहायता; ₹32.36 लाख करोड़ का ऋण वितरित, जिनमें महिलाओं, SC, ST और OBC को प्राथमिकता। ❖ स्टैंड-अप इंडिया: हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए उद्यमिता और ऋण सुविधा; ₹53,609 करोड़ स्वीकृत, 2.36 लाख से अधिक SC/ST और महिला उद्यमियों को लाभ।
प्रमुख चुनौतियां	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पहुँच में लैंगिक असमानता। ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल बुनियादी ढांचा। ❖ वित्तीय साक्षरता की कमी और धोखाधड़ी का जोखिम।
आगे की राह	<ul style="list-style-type: none"> ❖ डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। ❖ उपभोक्ता संरक्षण और नियामक निगरानी को बढ़ाना। ❖ सुरक्षित, निष्पक्ष, और समावेशी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ RBI का बढ़ता FI-Index भारत में औपचारिक वित्तीय समावेशन में प्रगति को दर्शाता है, लेकिन नीतिगत ध्यान शेष अंतराल को पाटने पर केंद्रित रहना चाहिए।



योजनाएँ

Topic 1 - पीएम धन-धान्य कृषि योजना

Syllabus	कृषि सरकारी योजनाएं
संदर्भ	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को मंजूरी दी है—यह ₹24,000 करोड़/वर्ष की छह-वर्षीय मिशन-मोड कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य FY 2025-26 से शुरू होकर 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों में कृषि क्षेत्र में रूपांतरकारी परिवर्तन लाना है।
उद्देश्य	<ol style="list-style-type: none"> वैज्ञानिक प्रथाओं का उपयोग कर कृषि उत्पादकता बढ़ाना फसल विविधीकरण और पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देना पंचायत/ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण का निर्माण सिंचाई अवसंरचना को उन्नत करना अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण तक पहुंच में सुधार 1.7 करोड़ किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों का उत्थान
जिलों के चयन का मानदंड	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जिलों का चयन निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर होगा: <ul style="list-style-type: none"> > कम कृषि उत्पादकता > मध्यम फसल तीव्रता <ul style="list-style-type: none"> ■ राष्ट्रीय औसत: 155% (2021-22, DACFW) > किसानों को औसत से कम ऋण प्रवाह ❖ आवंटन मानदंड: शुद्ध फसल क्षेत्र और कृषक परिवारों की संख्या के आधार पर ❖ न्यूनतम गारंटी: प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में कम से कम एक जिला योजना के अंतर्गत होगा।
PMDDKY के पांच मुख्य आधार	<ol style="list-style-type: none"> उत्पादकता वृद्धि- बेहतर बीज किस्मों, यंत्रीकरण, आईसीटी उपकरणों (जैसे, किसान सारथी, कृषि मेघ) के माध्यम से। फसलोत्तर प्रबंधन- पंचायत/ब्लॉक-स्तरीय शीत भंडारण, FPO-नेतृत्व वाली आपूर्ति शृंखलाएं, कृषि-लॉजिस्टिक्स। ऋण पहुंच- किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि-इंफ्रा फंड, NABARD पुनर्वित्त के माध्यम से विशेष ऋण खिड़कियां। टिकाऊ कृषि- प्राकृतिक खेती, जैविक विधियां, ZBNF, जलवायु-लचीले खेती मॉडल। सिंचाई सुधार- पीएम कृषि सिंचाई योजना के साथ समन्वय, सूक्ष्म-सिंचाई विस्तार, जल-उपयोग दक्षता।
कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय (जैसे, RKVY, PMKSY)। ❖ जिला धन-धान्य समिति, कलेक्टर की अध्यक्षता में, जिला-स्तरीय कृषि और संबद्ध गतिविधि योजनाएं तैयार करती है। ❖ केंद्रीय डैशबोर्ड पर 117 KPI के माध्यम से मासिक निगरानी। ❖ केंद्रीय नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और नीति आयोग से रणनीति समर्थन। ❖ कृषि विश्वविद्यालयों से तकनीकी सहायता।



Topic 2 - CROPIC और कृषि में AI का अनुप्रयोग

Syllabus	सरकारी योजनाएं AI और प्रौद्योगिकी कृषि
खबरों में क्यों?	हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत एक नई AI-आधारित पहल शुरू की , जिसका नाम CROPIC (Collection of Real Time Observations & Photo of Crops) है। यह AI और फोटो विश्लेषण का उपयोग करके फसल स्वास्थ्य का आकलन करता है और किसानों को मुआवजे को स्वचालित करता है।
CROPIC क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पूर्ण रूप: Collection of Real Time Observations and Photo of Crops. ❖ यह एक AI-संचालित अध्ययन और मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे निम्नलिखित के लिए डिज़ाइन किया गया है: <ul style="list-style-type: none"> > फसल स्वास्थ्य की निगरानी करना, > मध्य-सीजन में होने वाले नुकसान का आकलन करना, > मुआवजा वितरण को स्वचालित करना। ❖ प्रमुख विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> > क्राउड-सोर्स्ड डेटा: किसान CROPIC मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रति फसल मौसम में 4-5 तस्वीरें जमा करते हैं। > AI-आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म: एक AI इंजन कंप्यूटर विज़न और फोटो विश्लेषण का उपयोग करके छवियों को संसाधित करता है। आउटपुट नीति-स्तर के निर्णयों के लिए वेब-आधारित डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है। > बीमा दावों का स्वचालन: पीएमएफबीवाई (PMFBY) के तहत दावों की प्रक्रिया अब मैनुअल सर्वे पर निर्भर हुए बिना तेज़ और सटीक तरीके से की जा सकती है। ❖ CROPIC को कौन फंड करता है? <ul style="list-style-type: none"> > CROPIC को PMFBY के तहत FIAT (नवाचार और तकनीक के लिए कोष) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
FIAT के बारे में	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कोष: ₹824.77 करोड़ (1 जनवरी 2025 को स्वीकृत) ❖ उद्देश्य: कृषि बीमा योजनाओं में तकनीकी नवाचारों को वित्त पोषण, जैसे: <ul style="list-style-type: none"> > YES-TECH (Yield Estimation System using Technology) > WINDS (Weather Information and Network Data System) > R&D और पायलट परियोजनाएं।
कृषि में AI और डिजिटल तकनीक - प्रमुख पहल	<ul style="list-style-type: none"> ❖ किसान ई-मित्र (AI चैटबॉट): <ul style="list-style-type: none"> > पीएम-किसान से संबंधित प्रश्नों में किसानों की सहायता करता है। > 11 भाषाओं में रीयल-टाइम, एआई-आधारित उत्तर प्रदान करता है। ❖ राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS): <ul style="list-style-type: none"> > AI-आधारित कीट और रोग पहचान मंच > छवि विश्लेषण के माध्यम से तत्काल कीट सलाह प्रदान करता है। > लॉन्च: अगस्त 2024 ❖ YES-TECH (Yield Estimation System): <ul style="list-style-type: none"> > रिमोट सेंसिंग और क्षेत्र डेटा का उपयोग > तकनीक-आधारित उपज अनुमानों को 30% वेटेज अनिवार्य > 9 राज्यों में लागू, जिसमें UP, MH, TN शामिल ❖ WINDS (Weather Information and Network Data System): <ul style="list-style-type: none"> > ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS)



	<ul style="list-style-type: none"> > पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा गेज (ARGs) > 5 गुना बढ़ी नेटवर्क घनत्व के माध्यम से हाइपर-लोकल मौसम डेटा का लक्ष्य ❖ डिजिटल कृषि मिशन (2024): <ul style="list-style-type: none"> > आवंटन: ₹2817 करोड़ > डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) निर्माण पर केंद्रित > घटक: AgriStack, Krishi DSS, मृदा प्रोफाइल मैप ❖ SATHI पोर्टल: <ul style="list-style-type: none"> > बीज प्रमाणीकरण और ट्रेसबिलिटी मंच > बीज वितरण की संपूर्ण निगरानी सुनिश्चित करता है > MoAFW और NIC द्वारा विकसित > लॉन्च: अप्रैल 2023।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में	<ul style="list-style-type: none"> ❖ लॉन्च: 2016, NAIS और MNAIS को प्रतिस्थापित करते हुए ❖ उद्देश्य: एक राष्ट्र, एक योजना, एक प्रीमियम ❖ कवरेज: <ul style="list-style-type: none"> > सभी किसान, जिसमें किरायेदार और बटाईदार शामिल। > केवल अधिसूचित फसलों और अधिसूचित क्षेत्रों के लिए। ❖ प्रीमियम दरें: <ul style="list-style-type: none"> > खरीफ फसलें: बीमित राशि का 2% > रबी फसलें: 1.5% > बागवानी फसलें: 5% > शेष प्रीमियम केंद्र और राज्यों द्वारा साझा किया जाता है।

Topic 3 - RDI योजना और अनुसंधान-प्रधान भारत की दिशा में प्रयास

Syllabus	सरकारी नीतियां
संदर्भ	<p>केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के तहत अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी है, ताकि भारत के अनुसंधान और विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाए और नवाचार में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।</p>
भारत में वर्तमान R&D परिदृश्य	<ul style="list-style-type: none"> ❖ R&D व्यय: GDP का मात्र 0.65%, दशकों से स्थिर। ❖ निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी: कुल R&D का ~35% (विकसित देशों में 70–75%)। ❖ भारत की नवाचार रैंक: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (2024) में 39वां स्थान। ❖ WIPO 2024 रिपोर्ट: पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइनों में भारत शीर्ष 10 देशों में। ❖ IP निर्माण में कमी: OECD देशों की तुलना में पेटेंट फाइलिंग और प्रति व्यक्ति प्रकाशनों में कमजोरी।
RDI योजना: प्रमुख विशेषताएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ नोडल विभाग: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)। ❖ कोष: ₹1 लाख करोड़ (5 वर्षों में)। ❖ संरचना: <ul style="list-style-type: none"> > टियर 1: ANRF के अंतर्गत विशेष प्रयोजन निधि (SPF) → निधियों का केंद्रीय संरक्षक। > टियर 2: स्वतंत्र फंड प्रबंधक → बिना ब्याज या कम ब्याज वाले ऋण वितरित करेंगे। ❖ लक्षित क्षेत्र: हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रक्षा, अंतरिक्ष, सटीक कृषि। ❖ योजना के उद्देश्य



- सनराइज सेक्टर्स और आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक हितों, और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- उद्योग-अकादमिक साझेदारी को मजबूत करना।
- IP क्षमता निर्माण और नवाचारों को प्रयोगशाला से बाजार तक ले जाना।
- उच्च-TRL (टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल) परिवर्तनकारी परियोजनाओं का समर्थन।
- महत्वपूर्ण तकनीकों (critical technologies) के अधिग्रहण को बढ़ावा देना।
- डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (FoF) का निर्माण।
- ❖ योजना का महत्व
 - उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
 - रणनीतिक क्षेत्रों में तकनीकी निर्भरता को कम करता है।
 - विज्ञान, जलवायु, और महामारी प्रतिक्रिया में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करती है।
 - स्टार्ट-अप्स और MSMEs को वित्तपोषण और नवाचार प्रोत्साहनों के साथ समर्थन देती है।
- ❖ प्रमुख चुनौतियां
 - R&D मानव संसाधन की कमी: प्रति मिलियन केवल 200 शोधकर्ता (विकसित देशों में 1300+)।
 - अवसरों की कमी के कारण प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रैन)।
 - कमजोर उद्योग-अकादमिक संबंध।
 - निजी फर्मों के लिए R&D प्रोत्साहन की कमी।
 - कमजोर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्रवर्तन और लंबी पेटेंट समयावधि।

सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएं

देश	मॉडल	भारत के लिए सबक
यूएसए	NSF, DARPA	व्यावसायीकरण पर ध्यान + मजबूत सार्वजनिक फंडिंग
चीन	राज्य-नेतृत्व, PPPs	तकनीक-केंद्रित मिशन-आधारित R&D
जर्मनी	फ्राउनहोफर संस्थान	अकादमिक-उद्योग सहयोग के माध्यम से अनुप्रयुक्त अनुसंधान
दक्षिण कोरिया	SME नवाचार फोकस	उच्च R&D-to-GDP अनुपात के लिए कर प्रोत्साहन, अनुदान

आगे की राह	<ul style="list-style-type: none"> ❖ STEM शिक्षा को मजबूत करें और PhD/पोस्टडॉक को बढ़ावा दें। ❖ नवाचार बुनियादी ढांचा निर्माण: प्रयोगशालाएँ, तकनीकी पार्क, उत्कृष्टता केंद्र (CoEs)। ❖ अनिवार्य सहयोग के माध्यम से उद्योग-अकादमिक अंतर को पाटना। ❖ MSMEs/स्टार्टअप्स का समर्थन: वित्त पोषण, मेटरिंग, IP सहायता। ❖ संस्थागत सुधार: राष्ट्रीय R&D मिशन, कर प्रोत्साहन, रेटिंग ढांचा।
निष्कर्ष	RDI योजना नवाचार-प्रधान अर्थव्यवस्था की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, रणनीतिक तकनीकी आत्मनिर्भरता और संस्थागत सुधार पर ध्यान दिया गया है। यह सरकार, अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच राष्ट्रव्यापी सहयोगी प्रयास के रूप में R&D को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।



इतिहास

Topic 1 - मराठा सैन्य परिदृश्य - यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल

Syllabus	इतिहास कला और संस्कृति																
खबर में क्यों?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पेरिस में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र (जुलाई 2025) में मराठा सैन्य परिदृश्य को आधिकारिक तौर पर भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ❖ यह भारत का पहला सीरियल नामांकन है जो विशेष रूप से सैन्य परिदृश्य और किलों की वास्तुकला पर केंद्रित है। 																
मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु (जिंजी किला) में स्थित 12 किलों का समूह है, जिन्हें 17वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत के बीच बनाया या विस्तारित किया गया था। ❖ ये किले छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सैन्य शक्ति के प्रतीक हैं। ❖ इन किलों ने गैर-पारंपरिक युद्ध (asymmetric warfare), गुरिल्ला युद्ध नीति, और क्षेत्रीय एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। 																
भारत की स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विश्व धरोहर स्थलों की संख्या → भारत का विश्व में छठा और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा स्थान। ❖ नोडल एजेंसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) 																
हाल ही में जोड़े गए अन्य विश्व धरोहर स्थल	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2e0aa;">क्रमांक</th> <th style="background-color: #f2e0aa;">नाम</th> <th style="background-color: #f2e0aa;">वर्ष</th> <th style="background-color: #f2e0aa;">स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43वाँ</td> <td>मोदीयाम (Modiams) – अहोम राजवंश की समाधि-टीला प्रणाली</td> <td>2024</td> <td>असम</td> </tr> <tr> <td>42वाँ</td> <td>होयसाल मंदिर – बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा</td> <td>2023</td> <td>कर्नाटक</td> </tr> <tr> <td>41वाँ</td> <td>शांतिनिकेतन</td> <td>2023</td> <td>पश्चिम बंगाल</td> </tr> </tbody> </table>	क्रमांक	नाम	वर्ष	स्थान	43वाँ	मोदीयाम (Modiams) – अहोम राजवंश की समाधि-टीला प्रणाली	2024	असम	42वाँ	होयसाल मंदिर – बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा	2023	कर्नाटक	41वाँ	शांतिनिकेतन	2023	पश्चिम बंगाल
क्रमांक	नाम	वर्ष	स्थान														
43वाँ	मोदीयाम (Modiams) – अहोम राजवंश की समाधि-टीला प्रणाली	2024	असम														
42वाँ	होयसाल मंदिर – बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा	2023	कर्नाटक														
41वाँ	शांतिनिकेतन	2023	पश्चिम बंगाल														

मराठों से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध:

युद्ध	वर्ष	टिप्पणी
प्रतापगढ़	1659	मराठा बनाम अफजल खान (आदिलशाही)
कोल्हापुर	1659	शिवाजी की प्रारंभिक विजय
पुरंदर	1665	मुगलों के साथ संधि का कारण बना
सूरत छापा	1664	भारी लूट; मुगल प्रभुत्व को चुनौती
साल्हेर	1672	मुगलों के खिलाफ पहला बड़ा मैदानी युद्ध
संगमनेर	1679	शिवाजी द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध
अंग्रेज-मराठा युद्ध (I, II, III)	1775–1819	अंग्रेजों की मराठों पर सर्वोच्चता



Topic 2 - एनसीईआरटी इतिहास पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन - कक्षा 8

Syllabus	इतिहास
संदर्भ	नई कक्षा 8 की एनसीईआरटी इतिहास पाठ्यपुस्तक (2025 संस्करण) ने कई प्रमुख हस्तियों, विशेष रूप से मध्यकालीन इतिहास की महिलाओं को हटा दिया है, जिसमें NEP 2020 और NCF 2023 के साथ संरेखण का हवाला दिया गया है।
किन्हें हटाया गया है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ रजिया सुल्तान (दिल्ली सल्तनत): <ul style="list-style-type: none"> ➢ वंश: गुलाम/ममलूक ➢ उपाधि: "सुल्ताना" के बजाय "सुल्तान" लिया। ➢ शासन: 1236–1240 ई. ➢ दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। ➢ पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए जानी जाती हैं। ❖ नूरजहाँ (मुगल युग): <ul style="list-style-type: none"> ➢ नाम: मेहर-उन-निस्सा → नूरजहाँ ("विश्व का प्रकाश")। ➢ वास्तुकला और कल्याण की संरक्षक। ➢ जहाँगीर की पत्नी, उनकी बीमारी के दौरान उनके स्थान पर शासन किया। ➢ उनके नाम पर सिक्के और फरमान जारी किए। ❖ टीपू सुल्तान और हैदर अली: <ul style="list-style-type: none"> ➢ NEP/NCF के तहत पुनर्गठन का हवाला देते हुए हटाए गए। ➢ पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के लिए शामिल थे। ❖ दिल्ली सल्तनत या मुगल युग की किसी भी महिला शासक का अब कोई उल्लेख नहीं।
किन्हें जोड़ा गया?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ रानी दुर्गावती (गोंड रानी): <ul style="list-style-type: none"> ➢ गोंड साम्राज्य (मध्य प्रदेश क्षेत्र) की राजपूत रानी। ➢ 1564 में अकबर के मुगल आक्रमण का प्रतिरोध किया। ➢ आत्मसमर्पण के बजाय आत्म-बलिदान किया। ➢ मध्य भारत में वीरता और प्रतिरोध का प्रतीक। ❖ ताराबाई भोसले (मराठा रानी): <ul style="list-style-type: none"> ➢ पति राजाराम की मृत्यु (1700) के बाद रीजेंट। ➢ औरंगजेब के खिलाफ मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया। ➢ "नहीं योद्धा रानी" के रूप में याद की जाती हैं। ➢ गुरिल्ला प्रतिरोध के माध्यम से संप्रभुता को संरक्षित किया।

Topic 3 - पाइका विद्रोह (1817)

Syllabus	आधुनिक भारतीय इतिहास
संदर्भ	एनसीईआरटी द्वारा नई पाठ्यपुस्तक से पाइका विद्रोह को हटाने से राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है।
पाइका कौन थे?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पाइका ओडिशा के पारंपरिक योध्दा-किसान वर्ग थे, जो 16वीं शताब्दी से गजपति राजाओं की सेवा में रहते थे। ❖ सैन्य सेवा के बदले उन्हें निश्कर जागीर (लगान-मुक्त भूमि) प्रदान की जाती थी। ❖ ब्रिटिश शासन के दौरान, उनके भूमि अधिकार और विशेषाधिकारों में कटौती कर दी गई, जिससे असंतोष उत्पन्न हुआ। ❖ 1817 में, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व बक्षी जगबन्धु विद्याधर (मुकुन्द देव द्वितीय के सर्वोच्च सेनापति) ने किया।



Topic 4 - चोल वंश

Syllabus	भारतीय इतिहास और विरासत
संदर्भ	प्रधानमंत्री मोदी ने गंगईकोड़ चोलपुरम में आदि तिरुवथिरै उत्सव के अवसर पर अपने संबोधन में चोलों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत के विकास दृष्टिकोण के लिए एक "प्राचीन मार्गदर्शक" बताया।
खबरों में क्यों?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रधानमंत्री मोदी ने चोल वंश की उपलब्धियों को भारत के "विकसित भारत" (Viksit Bharat) दृष्टिकोण से जोड़ा। ❖ उन्होंने रक्षा, लोकतंत्र, सांस्कृतिक एकता, जल प्रबंधन और वास्तुकला में उनके योगदान को रेखांकित किया।
चोल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सैन्य और नौसेनिक क्षमता <ul style="list-style-type: none"> > चोलों ने प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक का निर्माण किया। > राजेंद्र चोल प्रथम ने निम्न क्षेत्रों में समुद्री अभियान चलाएँ: <ul style="list-style-type: none"> ■ श्रीलंका, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, मलय प्रायद्वीप और श्रीविजय साम्राज्य (आधुनिक इंडोनेशिया)। > उनकी समुद्री शक्ति आज भारत की तटीय रक्षा और ब्लू इकॉनॉमी को सशक्त करने की आवश्यकता को दर्शाती है। ❖ स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराएँ <ul style="list-style-type: none"> > कुडावोलई प्रणाली का प्रयोग करते थे — ताड़पत्र आधारित स्थानीय चुनाव प्रणाली। > ग्राम सभाएं (सभा) सशक्त और भागीदारी आधारित थीं। > यह दिखाता है कि भारत में आधुनिक संसदीय प्रणाली से बहुत पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद थी। ❖ कला, संस्कृति और वास्तुकला <ul style="list-style-type: none"> > द्रविड़ वास्तुकला अपने चरम पर पहुँची: <ul style="list-style-type: none"> ■ बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर) – यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ■ गंगईकोड़ चोलपुरम, ऐरावतेश्वर मंदिर। > तमिल साहित्य, कांस्य मूर्तिकला (विशेष रूप से नटराज प्रतिमा) का संरक्षण किया। > उनके मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं थे, बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा और कला के केंद्र भी थे। ❖ सांस्कृतिक एकीकरण और कूटनीति <ul style="list-style-type: none"> > दक्षिण-पूर्व एशिया में तमिल संस्कृति, भाषा और शैव मत का प्रसार किया। > व्यापार और धर्म के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा दिया। > प्रधानमंत्री मोदी ने इस विरासत को काशी-तमिल संगमम जैसी पहलों से जोड़ा, जो उत्तर-दक्षिण सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देती है। ❖ प्रशासन और शासन व्यवस्था <ul style="list-style-type: none"> > अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन और कुशल राजस्व प्रणाली। > कानूनी स्पष्टता के लिए विस्तृत भूमि अभिलेख और शिलालेखों का रख-रखाव। > केंद्रीय सत्ता और स्थानीय स्वशासन का समन्वय करते हुए नीचे से ऊपर तक शासन को बढ़ावा दिया।
चोल साम्राज्य का पतन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 12वीं शताब्दी के अंत में पतन की शुरुआत हुई, कारण थे: <ul style="list-style-type: none"> > आंतरिक संघर्ष, पांड्य और होयसलों का उदय। ❖ अंतिम प्रहार मलिक काफूर के आक्रमण (14वीं सदी की शुरुआत) के साथ हुआ, जब दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था।
सरकार की हालिया पहलें	<ul style="list-style-type: none"> ❖ राजा राजा चोल और राजेंद्र चोल प्रथम की प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा – उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए। ❖ चोल कालीन मूर्तियों और कलाकृतियों को विदेशों से वापस लाने के लिए प्रयास।



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Topic 1 - अंतर्राकीय वस्तु 3I/ATLAS

Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
खबर में क्यों?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 जुलाई 2025 को, चिली में ATLAS टेलीस्कोप का उपयोग कर खगोलविदों ने एक नए अंतर्राकीय धूमकेतु की खोज की घोषणा की, जिसे 3I/ATLAS (C/2025 N1) नाम दिया गया है। ❖ यह हमारे सौर मंडल में अब तक खोजा गया तीसरा अंतर्राकीय वस्तु (इंटरस्टेलर पिंड) है। इससे पहले के दो हैं: > 1I/Oumuamua (2017) > 2I/Borisov (2019)।
3I/ATLAS क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ एक परवलयाकार (हाइपरबोलिक) कक्षा वाला अंतर्राकीय धूमकेतु है, जिसका अर्थ है कि यह सौर मंडल से एक बार गुजरेगा और कभी वापस नहीं आएगा। ❖ इसे बहुत अधिक गति (लगभग 57-68 किमी/सेकंड) से चलते हुए देखा गया, और यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त है।
उत्पत्ति और आयु	<ul style="list-style-type: none"> ❖ संभवतः मिल्की वे की "थिक डिस्क" से उत्पन्न - एक ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राचीन, धातु न्यूनता वाले तारों की अधिकता होती है। ❖ प्रारंभिक मॉडल बताते हैं कि इसकी आयु लगभग 7.6 अरब वर्ष हो सकती है, यानी यह हमारे सौरमंडल से लगभग 3 अरब वर्ष अधिक पुराना है।

Topic 2 - क्वांटम शोर: व्यवधान से खोज तक

Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी - क्वांटम भौतिकी
संदर्भ	एक महत्वपूर्ण खोज में, बैंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि क्वांटम शोर (Quantum Noise), जिसे अब तक एक विघटनकारी तत्व माना जाता था, कुछ विशिष्ट क्वांटम प्रणालियों में उलझाव (Entanglement) को उत्पन्न और पुनः सक्रिय कर सकता है। यह खोज क्वांटम विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत करती है और क्वांटम प्रौद्योगिकी विकास के लिए नए रास्ते खोलती है।
क्वांटम शोर (Quantum Noise) क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ परिभाषा: क्वांटम शोर एक क्वांटम प्रणाली में होने वाली यादृच्छिक (random) व्यवधान या उतार-चढ़ाव हैं, जो इसके आसपास के पर्यावरण के साथ अपरिहार्य अंतर्क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ❖ मुख्य विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> > डिकोहरेन्स का कारण: पर्यावरणीय हस्तक्षेप के कारण क्वांटम सूचना का नुकसान होता है। > उलझाव की स्थिति का पतन: क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार में चुनौतियां पैदा करता है।

क्वांटम शोर की उत्पत्ति और प्रकृति

स्रोत	विवरण
क्वांटम उत्पत्ति	हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी की संभाव्य प्रकृति से उत्पन्न।
पर्यावरणीय अंतर्क्रिया	न्यूनतम बाहरी ऊष्मीय या विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप भी त्रुटियाँ उत्पन्न करता है।
अपरिहार्य उपस्थिति	नियंत्रित प्रयोगशाला सेटअप के बावजूद, क्वांटम प्रणालियों को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता, जिससे शोर अपरिहार्य है।



**भारत के क्वांटम
मिशन के लिए
निहितार्थ**

- ❖ भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य है:
 - > क्वांटम कंप्यूटर, सेंसर, और नेटवर्क विकसित करना।
 - > प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना और क्वांटम अवसंरचना निर्माण।
- ❖ इससे भारत को अगली पीढ़ी की क्वांटम प्रौद्योगिकियों का वैश्विक केंद्र बनने में मदद मिलती है।

Topic 3 - CERN

Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कण भौतिकी
संदर्भ	पहली बार, CERN के LHCb प्रयोग में भौतिकशास्त्रियों ने बैरियॉनों में CP उल्लंघन (CP Violation) का अवलोकन किया है (पूर्व में यह केवल मेसॉनों तक सीमित था)। यह खोज इस बात को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि ब्रह्मांड में पदार्थ (matter) का ही वर्चस्व क्यों है, जबकि बिंग के समय पदार्थ और प्रतिपदार्थ (antimatter) समान मात्रा में उत्पन्न हुए थे।
CP उल्लंघन क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ C (चार्ज कंजुगेशन): किसी कण को उसके प्रतिकण (antiparticle) से बदलता है। ❖ P (पैरिटी): स्थान निर्देशांक की दर्पण परावर्तन (mirror reflection) करता है। ❖ CP समरूपता (Symmetry): कहती है कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ को इन दोनों क्रियाओं पर समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ❖ CP उल्लंघन: तब होता है जब यह समरूपता टूटती है — यह दर्शाता है कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ के लिए भौतिक नियम अलग-अलग हो सकते हैं। ❖ CP उल्लंघन को ब्रह्मांड में पदार्थ-प्रतिपदार्थ की विषमता (asymmetry) को समझाने के लिए आवश्यक माना गया है। (जैसा कि Sakharov स्थितियों, 1967 में बताया गया है।)
प्रयोग विवरण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ CERN में LHCb कोएलिशन द्वारा लार्ज हेडँन कोलाइडर (LHC) का उपयोग करके आयोजित।
स्टैंडर्ड मॉडल (SM)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ CKM मैट्रिक्स (quark mixing model) के माध्यम से CP उल्लंघन की भविष्यवाणी करता है।
CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire OR यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ स्थापना: 1954 ❖ मुख्यालय: जेनेवा, स्विट्जरलैंड ❖ सदस्य: 23 सदस्य देश ❖ भारत: 2016 से सहयोगी सदस्य ❖ प्रमुख कार्य <ul style="list-style-type: none"> > मौलिक अनुसंधान: उच्च-ऊर्जा कण टकरावों का उपयोग कर पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंडों का अध्ययन। > लार्ज हेडँन कोलाइडर (LHC): विश्व का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक; 2012 में हिंगे बोसॉन की खोज। > तकनीकी नवाचार: डिटेक्टर, GRID कंप्यूटिंग, क्रायोजेनिक्स, और चिकित्सा उपकरण (जैसे, कैंसर थेरेपी) जैसे अत्याधुनिक तकनीक का विकास।
भारत-CERN सहयोग	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सहयोगी संस्थान: TIFR, BARC, IISc ❖ योगदान: डिटेक्टर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग ❖ भारतीय उद्योग: क्रायोजेनिक्स, स्टीक घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपूर्ति



Topic 4 - प्रतिपदार्थ (एंटीमैटर)

Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कण भौतिकी
संदर्भ	2025 में, यूरोप के वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा कि बैरियन्स और उनके प्रतिपदार्थ समकक्ष अलग-अलग दरों पर क्षय करते हैं - यह पदार्थ-प्रतिपदार्थ असममिति को समझने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
प्रतिपदार्थ क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रतिपदार्थ पदार्थ की तरह है लेकिन विपरीत विद्युत आवेश के साथ। ❖ प्रतिपदार्थ कण: <ul style="list-style-type: none"> > इलेक्ट्रॉन → पॉज़िट्रॉन (e^+) > प्रोटॉन → एंटीप्रोटॉन (p^-) > न्यूट्रॉन → एंटीन्यूट्रॉन (n) ❖ विपरीत गुण: <ul style="list-style-type: none"> > पॉज़िट्रॉन → +ve आवेश > एंटीप्रोटॉन → -ve आवेश > एंटीन्यूट्रॉन → तटस्थ लेकिन उल्टा चुंबकीय आधूर्ण।
पदार्थ - प्रतिपदार्थ का नष्ट होना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ एक साथ सह-अस्तित्व नहीं रख सकते → संपर्क पर परस्पर विनाश। ❖ उच्च-ऊर्जा गामा किरणें छोड़ता है।
उत्पत्ति और दुर्लभता	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बिंग बैंग के बाद दोनों का निर्माण हुआ। ❖ अब दृश्यमान ब्रह्मांड में प्रतिपदार्थ अत्यंत दुर्लभ है।
मानव द्वारा प्रतिपदार्थ का निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कण त्वरकों में बनाया जाता है (जैसे, CERN का LHC)। ❖ अति-उच्च गति टकरावों के माध्यम से निर्मित।

Topic 5 - कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs)

Syllabus	अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी
संदर्भ	शक्तिशाली CMEs की एक श्रृंखला ने भारत के लद्धाख में दुर्लभ ऑरोरा उत्पन्न किया - दशकों में पहली बार।
CMEs क्या हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सूर्य के कोरोना से चुम्बकीय प्लाज्मा (मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा) का विशाल उत्सर्जन। ❖ चुम्बकीय पुनर्संयोजन (Magnetic Reconnection) के कारण होता है: सूर्य की सतह पर चुम्बकीय रेखाओं का मुड़ना और टूटना। ❖ आमतौर पर सनस्पॉट्स और कभी-कभी सौर ज्वालाओं (Solar Flares) से जुड़े होते हैं।
प्रमुख विशेषताएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ गति सीमा: 250 किमी/सेकंड से 3000 किमी/सेकंड। ❖ अंतरिक्ष में व्यापक रूप से विस्तार; पृथ्वी और सूर्य के बीच $\frac{1}{4}$ दूरी तक कब्जा कर सकते हैं। ❖ सौर अधिकतम (11-वर्षीय सौर चक्र शिखर) के दौरान अधिक बार होते हैं।
पृथ्वी पर प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भू-चुम्बकीय तूफान उत्पन्न करते हैं। ❖ उपग्रह संचार, GPS, बिजली ग्रिड, और रेडियो सिग्नल में व्यवधान। ❖ उच्च-अक्षांश क्षेत्रों (जैसे, लद्धाख) में औरोरा का कारण बनते हैं।



Topic 6 - ब्लैक होल विलय

Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष
संदर्भ	वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल विलय से उत्पन्न गुरुत्वीय तरंगों (Gravitational Waves) का पता लगाया।
शामिल ब्लैक होल	> सूर्य के द्रव्यमान का (140 गुना + 100 गुना) → लगभग 225 गुना सूर्य का द्रव्यमान (GW231123)
यह क्यों महत्वपूर्ण है?	<p>1. मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ वर्तमान तारकीय विकास मॉडल (stellar evolution models) के अनुसार, 100-150 सौर द्रव्यमान के ब्लैक होल अस्तित्व में नहीं होने चाहिए। ❖ इतने बड़े तारे ब्लैक होल बनने के बजाय विस्फोटित या विघटित हो जाते हैं। ❖ यह खोज दर्शाती है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इसे लेकर हमारी समझ अधूरी या गलत हो सकती है। <p>2. चरम घूर्णन गति (Extreme Spin) का पता चलना</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ कम से कम एक ब्लैक होल का स्पिन आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत द्वारा तय सैद्धांतिक सीमा के निकट था। ❖ इतना उच्च स्पिन ब्लैक होल गतिकी और निर्माण प्रक्रिया पर नए प्रश्न उठाता है।
गुरुत्वाकर्षण तरंगें (Gravitational Waves) क्या हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत (1915) द्वारा भविष्यवाणी की गई थीं; पहली बार 2015 में LIGO द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डिटेक्ट हुई। ❖ ये स्पेसटाइम में तरंगें (लहरें) होती हैं जो बड़े पिंडों (जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे के विलय) की गति से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि झील में नाव के चलने से लहरें बनती हैं। ❖ ये प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और किसी भी पदार्थ से बिना रुके गुजर सकती हैं – इसलिए ब्रह्मांडीय अवलोकन के लिए आदर्श मानी जाती हैं।
गुरुत्वीय तरंगें विज्ञान के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ डार्क मैटर, ब्लैक होल, और प्रारंभिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन संभव बनाती हैं। ❖ पारंपरिक खगोलशास्त्र विद्युतचुंबकीय तरंगें (electromagnetic waves) पर आधारित है, जो डार्क मैटर/डार्क एनर्जी के साथ अंतःक्रिया नहीं करती।
वैश्विक गुरुत्वीय तरंग डिटेक्शन नेटवर्क	<ul style="list-style-type: none"> ❖ LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) सहयोग: <ul style="list-style-type: none"> > LIGO (USA): 2015 में गुरुत्वीय तरंगों की पहली खोज > Virgo (इटली) > KAGRA (जापान): Kamioka Gravitational Wave Detector ❖ LIGO-India: <ul style="list-style-type: none"> > हिंगोली (महाराष्ट्र) में आगामी वेधशाला, अप्रैल 2030 तक अपेक्षित। > वैश्विक डिटेक्शन को त्रिकोणीय रूप से सुदृढ़ करेगा और स्रोत की सटीक पहचान में मदद करेगा। > यह अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी और मौलिक विज्ञान में भारत की बढ़ती भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है।
ब्लैक होल (Black Holes)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि ना प्रकाश और ना ही पदार्थ उससे बाहर निकल सकते हैं। ❖ ये विशाल तारों के नष्ट होने (collapse) से बनते हैं। ❖ प्रकार: <ul style="list-style-type: none"> > स्टेलर मास ब्लैक होल ($\sim 3-100 M_\odot$) > इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल ($\sim 100-1000 M_\odot$) > सुपरमैसिव ब्लैक होल ($> 10^5 M_\odot$, आकाशगंगाओं के केंद्र में) ❖ इवेंट होराइजन: वह सीमा जिसके पार जाकर कोई वापसी नहीं होती।



	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कहता है कि ये स्पेसटाइम को विकृत कर सकते हैं और इसके पास प्रकाश, पदार्थ और समय पर असर डालते हैं।
LIGO (लेज़र इंटरफ़ेरोमेट्री गुरुत्वीय-तरंग वेधशाला)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ लेज़र इंटरफ़ेरोमेट्री तकनीक का प्रयोग कर गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने वाली एक बड़ी वेधशाला। ❖ यह तरंगों के कारण उत्पन्न अति-सूक्ष्म कंपन ($\sim 1/10,000$ प्रोटॉन) को माप सकती है। ❖ 2015 में पहली खोज ने आइंस्टीन की भविष्यवाणी की पुष्टि की; यह संकेत 1.3 अरब प्रकाशवर्ष दूर एक ब्लैक होल विलय से आया था।

Topic 7 - ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) प्रौद्योगिकी

Syllabus	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
संदर्भ	आईआईटी कानपुर ने हरियाणा के यमुना नगर में प्राचीन बौद्ध स्तूपों और संरचनात्मक अवशेषों का पता लगाने के लिए GPR का उपयोग किया।
ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ GPR (ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार) एक गैर-विनाशी भूभौतिकीय विधि है, जो उच्च-आवृत्ति की विद्युतचुंबकीय तरंगों का उपयोग करके भूमिगत संरचनाओं की इमेजिंग करती है। ❖ यह तकनीक भूमिगत सामग्री के विद्युतचुंबकीय गुणों में भिन्नता का पता लगाकर कार्य करती है।
यह कैसे काम करता है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रेषक एंटीना (Transmitter Antenna) ज़मीन में 10 MHz – 1000 MHz की पल्स EM तरंगें भेजता है। ❖ ये तरंगें किसी वस्तु या सीमा से टकराकर वापस आती हैं। ❖ रिसीवर एंटीना (Receiver Antenna) इन लौटती तरंगों की समय और तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ❖ इन डेटा के विश्लेषण से भूमिगत संरचना का मानचित्रण किया जाता है।
अनुप्रयोग	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पुरातत्त्व: दबे हुए ढांचे या वस्तुओं का पता लगाना। ❖ सिविल इंजीनियरिंग: सड़कों/इमारतों के नीचे यूटिलिटी मैपिंग। ❖ पर्यावरण: मिट्टी प्रदूषण, सिंकहोल्स की पहचान। ❖ सैन्य क्षेत्र: लैंडमाइन व सुरंगों का पता लगाना। ❖ फॉरेंसिक: गड़ी हुई लाशें या छिपी वस्तुओं का पता लगाना।
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ गैर-आक्रामक (Non-invasive) व उच्च-रिज़ॉल्यूशन तकनीक। ❖ धात्विक व अधात्विक वस्तुओं की पहचान कर सकती है। ❖ शहरी नियोजन, संरक्षण, व आपदा प्रतिक्रिया में उपयोगी।

Topic 8 - भारतीय सेना का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) रोडमैप (2026-27)

Syllabus	रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत का सैन्य आधुनिकीकरण अभियान
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत की तकनीक-आधारित सैन्य आधुनिकीकरण की पहल निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के रूप में है: <ul style="list-style-type: none"> > सीमापार खतरों और आतंकी घुसपैठ। > ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025): एआई-आधारित सटीक लक्ष्यभेदन में कमियों को उजागर किया। ❖ यह आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> ❖ वर्ष 2026-27 तक सैन्य निर्णय-निर्धारण, लॉजिस्टिक्स और परिचालन योजना में AI/ML और बिग डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करना। ❖ रीयल-टाइम निगरानी, सटीक हमले और रणनीतिक तत्परता को मजबूत करना।



AI की तैनाती के क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> ❖ निगरानी और टोही (Surveillance & Reconnaissance): <ul style="list-style-type: none"> > उपग्रह/ड्रोन फीड से AI-सक्षम फेस रिकग्निशन। > स्वचालित खतरे की पहचान → मानवीय त्रुटि में कमी। > प्रोजेक्ट हिमशक्ति: एलओसी पर AI-आधारित सीमा निगरानी हेतु परीक्षण जारी। ❖ युद्धक्षेत्र एवं डेटा विश्लेषण (Battlefield & Data Analytics): <ul style="list-style-type: none"> > LLMs (लार्ज लैंग्वेज मॉडल) का उपयोग: बहुभाषी खुफिया इनपुट के लिए वॉइस-टू-टेक्स्ट, AI-जनित युद्धक्षेत्र रिपोर्ट। > DRDO द्वारा पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर अभियानों के लिए युद्धक्षेत्र-विशेष NLP मॉडल का विकास। ❖ निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support Systems): <ul style="list-style-type: none"> > डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से वारगेमिंग सिमुलेशन। > सैनिकों की गतिविधियों, शत्रु के व्यवहार, भू-भाग की चुनौतियों की AI भविष्यवाणी। ❖ पूर्वानुमानात्मक लॉजिस्टिक्स और रख-रखाव (Predictive Logistics & Maintenance): <ul style="list-style-type: none"> > विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों (जैसे सियाचिन, अरुणाचल) में आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए AI। > टैंकों (जैसे T-90 भीष्म), UAVs के पूर्वानुमानात्मक रख-रखाव। ❖ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) और साइबर निगरानी: <ul style="list-style-type: none"> > दुश्मनों के सोशल मीडिया की ट्रैकिंग, फेक न्यूज़, डीपफेक, भावनात्मक परिवर्तनों की पहचान। > इन्फॉर्मेशन वारफेयर डिवीजन (स्थापित 2024) के साथ एकीकृत।
सशस्त्र बलों को लाभ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ उच्च-दांव वाली स्थितियों में तेज, रीयल-टाइम निर्णय। ❖ स्वचालन के माध्यम से सैनिकों का जोखिम घटेगा। ❖ न्यूनतम कोलेटरल डैमेज के साथ सटीक लक्ष्यभेदन। ❖ लागत प्रभावी और स्केलेबल परिचालन योजना। ❖ “फॉग ऑफ वॉर” की स्थिति में स्थिति की बेहतर जानकारी। ❖ सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण से रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि।
प्रमुख चिंताएँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मानव नियंत्रण की हानि → स्वायत्त ड्रोन द्वारा घातक निर्णय → आकस्मिक युद्ध की आशंका। ❖ साइबर कमजोरियाँ → AI इनपुट को दुश्मन द्वारा हैक या स्पूफ किया जा सकता है। ❖ नागरिक जोखिम → जटिल भूभाग में AI की पहचान में गलती। ❖ AI का दुरुपयोग → आंतरिक दमन या निगरानी के लिए। ❖ वैश्विक AI हथियार दौड़ → चीन, अमेरिका, इंडिया द्वारा बिना वैश्विक मानदंडों के AI का तेजी से सैन्यकरण → अस्थिरता और अपारदर्शिता।
आधुनिकीकरण पहल	<ul style="list-style-type: none"> ❖ खरीद में AI: <ul style="list-style-type: none"> > नए उपकरणों की GSQRs (जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स) में AI को शामिल किया जाएगा। > पुराने प्लेटफॉर्म में AI का पुनःएकीकरण (जैसे BMP-2 ICV, धनुष तोप)। ❖ संगठनात्मक पहल: <ul style="list-style-type: none"> > DGIS (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के तहत AI लैब की स्थापना। > भारतीय सेना AI आधुनिकीकरण प्रकोष्ठ के तहत AI टास्क फोर्स (2025) का शुभारंभ। > नवाचार के लिए अकादमिक संस्थानों और रक्षा-तकनीकी स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी → IDEX-DIO (Innovation for Defence Excellence – Defence Innovation Organisation) योजना।
निष्कर्ष	वर्ष 2026-27 तक भारत की AI-सक्षम सेना स्मार्ट , चुस्त और सटीक युद्ध रणनीतियों की ओर एक परिवर्तन को चिह्नित करेगी, जो घरेलू नवाचार द्वारा संचालित होगी। हालांकि, साइबर जोखिम, नैतिक चिंताओं, और संचालनात्मक विश्वसनीयता को संबोधित करना इस तकनीक को जिम्मेदार रूप से अपनाने के लिए अनिवार्य होगा।



Topic 9 - खबरों में मिसाइलें

ET-LDHC M हाइपरसोनिक मिसाइल (विस्तारित प्रक्षेप पथ - दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल) (परीक्षण: जुलाई 2025)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रकार: हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा एवं समुद्र से प्रक्षेपित; स्टैंड-ऑफ सामरिक/रणनीतिक हथियार के रूप में कार्य कर सकती है)। ❖ विकासकर्ता: DRDO (प्रोजेक्ट "विष्णु" के अंतर्गत) ❖ खबरों में क्यों: सफल परीक्षण ने भारत की हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित किया। ❖ विशिष्टताएँ: <ul style="list-style-type: none"> ➢ गति: मैक 8 (लगभग 11,000 किमी/घंटा) ➢ मारक क्षमता (रेंज): 1,500–2,500 किमी (दीर्घ दूरी) ➢ वारहेड: पारंपरिक/नाभिकीय, 1,000–2,000 किग्रा ➢ प्रक्षेपण मंच: स्थल, नौसेना, वायु ➢ विशेषताएँ: स्क्रैमजेट प्रणोदन, निम्न-उंचाई वाली उड़ान, मार्गीय-मोड़नीयता (Route Maneuvering), न्यूनतम रडार प्रतिबिंब (low RCS), अत्यधिक गतिशीलता।
पृथ्वी-II मिसाइल	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रकार: सतह से सतह पर मार करने वाली, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM)। ❖ विकासकर्ता: DRDO, भारत ❖ खबरों में क्यों: जुलाई 2025 में सफल नियमित प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया गया। ❖ विशिष्टताएँ: <ul style="list-style-type: none"> ➢ रेंज: 350 किमी ➢ वारहेड: 500–1,000 किग्रा (नाभिकीय/पारंपरिक) ➢ प्रणोदन: द्रव-ईंधन चालित, एकल-चरण। ➢ नेविगेशन प्रणाली: उन्नत जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली, बेहतर सटीकता के लिए गतिशील प्रक्षेप पथ।
अग्नि-I मिसाइल	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रकार: सतह से सतह पर मार करने वाली, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM)। ❖ विकासकर्ता: DRDO, भारत ❖ खबरों में क्यों: जुलाई 2025 में नियमित प्रशिक्षण लॉन्च, परिचालन तत्परता को मान्यता। ❖ विशिष्टताएँ: <ul style="list-style-type: none"> ➢ रेंज: 700 – 1,200 किमी ➢ वारहेड: 1,000 किग्रा तक (नाभिकीय/पारंपरिक) ➢ प्रणोदन: ठोस ईंधन चालित, एकल-चरण। ➢ विशेषताएँ: ले जाने में आसानी (Road and rail mobile), अत्यधिक विश्वसनीय निवारक क्षमता।
ULM-ER (ULPGM V3) - DRDO की विस्तारित-रेंज UAV-लॉन्च मिसाइल	<p>ULM-ER (ULPGM V3) - DRDO की विस्तारित-रेंज UAV-लॉन्च मिसाइल</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ ULM-ER, DRDO के UAV-लॉन्च प्रोजेक्ट गाइडेड मुनिशन (ULPGM) का विस्तारित-रेंज संस्करण है। ❖ विकासकर्ता: DRDO; निर्माता: अडानी डिफेंस और भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL)। ❖ मुख्य विशेषताएँ: <ul style="list-style-type: none"> ➢ रेंज: 4 किमी (दिन में), 2.5 किमी (रात में)। ➢ सीकर: इमेजिंग इंफ्रारेड (IIR) – दिन/रात 'फायर एंड फॉर्गेट' अभियानों के लिए पैसिव होमिंग। ➢ गाइडेंस: संचार के लिए टू-वे डाटा लिंक। ➢ वारहेड: स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए कई विकल्प। ❖ संस्करण: <ul style="list-style-type: none"> ➢ V1: बेसलाइन प्रोटोटाइप। ➢ V2: उत्पादन के लिए तैयार ULPGM। ➢ V3 (ULM-ER): बेहतर मार्गदर्शन और प्रदर्शन के साथ विस्तारित-रेंज।



Topic 10 - भारत में बायोस्टिमुलेंट्स

Syllabus	अर्थव्यवस्था और कृषि
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से आग्रह किया कि सब्सिडी वाले उर्वरकों (यूरिया, डीएपी) के साथ बायोस्टिमुलेंट्स की अनिवार्य बिक्री को रोका जाए। ❖ किसानों ने शिकायत की है कि ये उत्पाद प्रभावहीन हैं और दुकानदारों द्वारा बंडलिंग का दबाव बनाया जा रहा है। ❖ सरकार गैर-लाभकारी बायोस्टिमुलेंट्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की योजना बना रही है।
बायोस्टिमुलेंट्स क्या हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बायोस्टिमुलेंट्स वे प्राकृतिक पदार्थ या सूक्ष्मजीव (microorganisms) हैं जो पौधों की वृद्धि क्षमता, पोषक अवशोषण और तनाव सहनशीलता (stress tolerance) को बढ़ाते हैं। ❖ इनका निर्माण समुद्री शैवाल, पौध अपशिष्ट आदि से होता है। ❖ इन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO), 1985 के तहत परिभाषित किया गया है - ये उर्वरकों और कीटनाशकों से भिन्न श्रेणी में आते हैं।
प्रमुख लाभ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ तनाव सहनशीलता (Stress Resilience): सूखा, गर्मी और लवणता से पौधों की रक्षा। ❖ फसल गुणवत्ता में सुधार: फल का रंग, आकार, दाना भराव एवं कटाई उपरांत गुणवत्ता में वृद्धि। ❖ विकास में तेजी: जड़ों के विकास, टहनियों की लंबाई और अंकुरण क्षमता में वृद्धि। ❖ पर्यावरण हितैषी (Eco-Friendly): सतत कृषि और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा।

बायोस्टिमुलेंट्स बनाम उर्वरक

मापदंड	उर्वरक	बायोस्टिमुलेंट्स
कार्य	NPK पोषक तत्व प्रदान करते हैं	अवशोषण और चयापचय को बढ़ाते हैं
मृदा प्रभाव	मृदा गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।	मृदा सूक्ष्मजीव स्वास्थ्य और विविधता को सुधारते हैं।
विनियमन	FCO के अंतर्गत कड़ा विनियमन	2021 से FCO के अंतर्गत लाया गया
पर्यावरण	रासायनिक अपवाह का कारण बनते हैं।	रासायनिक भार को कम करते हैं।

विनियमन की आवश्यकता क्यों पड़ी?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पहले ये FCO 1985 या कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत नहीं आते थे। 2021 में इन्हें FCO के अंतर्गत विशेष उर्वरक श्रेणी के रूप में शामिल किया गया। ❖ 2011 का न्यायालय निर्णय: सभी पौध-आधारित उत्पाद जो उर्वरकों/कीटनाशकों की तरह कार्य करते हैं, उनके लिए वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य। ❖ नीति आयोग एवं कृषि मंत्रालय (2017): बायोस्टिमुलेंट्स के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए।
निष्कर्ष	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बायोस्टिमुलेंट्स = वृद्धि + स्थिरता, लेकिन यह तभी संभव है जब इनके लिए कठोर नियमन और गुणवत्ता मानक लागू किए जाएँ।



Topic 11 - रक्षा

<p>पनडुब्बियाँ और नौसेना के जहाज</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ INS निस्तार का कमीशन <ul style="list-style-type: none"> ➢ विकसितकर्ता: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम। ➢ भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV)। ➢ विशिष्टताएँ: गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव अभियानों के लिए उपयुक्त, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROVs), डाइविंग बेल्स, डिकंप्रेशन चैम्बर्स, और साइड स्कैन सोनार से लैस। ➢ भूमिका: पानी के नीचे खोज, बचाव, पुनः प्राप्ति और आपदा राहत अभियान; 300 मीटर की गहराई तक संचालन में सक्षम। ❖ 'अजय' (यार्ड 3034) का शुभारंभ <ul style="list-style-type: none"> ➢ विकसितकर्ता: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता। ➢ आठवां और अंतिम एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC)। ➢ विशिष्टताएँ: लंबाई 77 मीटर, विस्थापन ~650 टन, गति 25 नॉट्स, रेंज 1,800 नॉट्किल मील। ➢ विशेषताएँ: स्वदेशी सोनार सुइट्स, टॉरपीडो लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, माइन-लेझिंग क्षमता, 80% से अधिक भारतीय सामग्री। ❖ अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत (NGOPV) - कील लेझिंग <ul style="list-style-type: none"> ➢ विकसितकर्ता: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई। ➢ उन्नत OPV जिसमें AI-आधारित प्रेडिक्टिव मैंटेनेंस और ड्रोन-आधारित निगरानी शामिल।
<p>विमान</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अधिग्रहण योजना <ul style="list-style-type: none"> ➢ वायुसेना 2-3 स्क्वाइन विदेशी फिफ्थ-जनरेशन जेट (उदाहरण: F-35, SU-57) खरीदने पर विचार कर रही है। ➢ प्रमुख फीचर्स: स्टेल्थ, सुपरकूज, AESA रडार, सेंसर्स प्यूज़न, नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन।
<p>रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ BEL स्वदेशी फायर कंट्रोल रडार अनुबंध <ul style="list-style-type: none"> ➢ विकसितकर्ता: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत। ➢ ₹2,000 करोड़ का अनुबंध (जुलाई 2025)। ➢ विशिष्टताएँ: लंबी दूरी की निगरानी, एक साथ कई हवाई खतरों की ट्रैकिंग; फाइटर्स, ड्रोन, हेलिकॉप्टर्स को कवर करता है। ➢ 70% स्वदेशी सामग्री; आत्मनिर्भर भारत और MSME पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है।
<p>हेलीकॉप्टर</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर <ul style="list-style-type: none"> ➢ विकसितकर्ता: बोइंग (विदेशी मूल), लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम्स, हैदराबाद के साथ स्थानीय असेंबली। ➢ भारतीय सेना ने पहले बैच को शामिल किया (कुल 6 का ऑर्डर)। ➢ विशिष्टताएँ: ट्रिविन टर्बोशाप्ट इंजन, अधिकतम गति 293 किमी/घंटा, रेंज 480 किमी, कॉम्बैट रेडियो 260 किमी; हथियारों में हेलफायर मिसाइल, हाइड्रा रॉकेट्स, 30 मिमी चेन गन; फायर कंट्रोल रडार। ➢ अपडेट: हथियारबंद “टैक इन द एयर” स्क्वाइन, सभी मौसम और रात में युद्ध करने में सक्षम, हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले, उन्नत एवियोनिक्स, और लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार के साथ एकीकृत। ❖ स्वदेशी रोटरी प्लेटफॉर्म्स <ul style="list-style-type: none"> ➢ उदाहरण: HAL रूद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर; स्वदेशी सामग्री बढ़ाने और बहु-भूमिका के लिए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बल।
<p>मिशन एवं अभ्यास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अभ्यास दिव्य दृष्टि <ul style="list-style-type: none"> ➢ त्रिशक्ति कोर, भारतीय सेना द्वारा पूर्वी सिक्किम में आयोजित।



	<ul style="list-style-type: none">➤ AI-आधारित निगरानी, रीयल-टाइम युद्धक्षेत्र डेटा लिंक और सुरक्षित कमांड सिस्टम का उपयोग; भारतीय ड्रोन और उन्नत सेंसरों की तैनाती।❖ अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 (भारत-सिंगापुर)➤ जुलाई 2025 में जोधपुर में आयोजित।➤ फोकस: यंत्रीकृत युद्ध, शहरी युद्ध, संयुक्त संचालन और सामरिक अंतर-संचालनीयता, उन्नत भारतीय मंचों (अर्जुन टैंक, BMP-2 IFVs) का उपयोग।
रक्षा उद्योग नीति/स्थानीय सोसिंग	<ul style="list-style-type: none">❖ रक्षा अनुबंधों (जैसे BEL रडार) में कम से कम 70% स्थानीय सामग्री की आवश्यकता, MSME भागीदारी और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
SBS-III सैन्य उपग्रह कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none">❖ विकसितकर्ता: इसरो व निजी भागीदारों के द्वारा।❖ रीयल-टाइम निगरानी के लिए 52 उपग्रह तैनात।❖ विशेषताएँ: सिंथेटिक अपर्चर रडार, एआई-आधारित चेंज डिटेक्शन, सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी।





पर्यावरण

Topic 1 - कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)

Syllabus	पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था (योजनाएँ और नीतियाँ)
खबर में क्यों?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 23 जून 2025 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने CCTS अनुपालन तंत्र के तहत 460 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए ड्राफ्ट उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य जारी किए। ❖ ये लक्ष्य भारत के ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत के NDC लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना: 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 45% की कमी। ❖ उद्योगों को प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। ❖ उत्सर्जन कटौती को मौद्रिक मूल्य प्रदान करना।
मुख्य विशेषताएँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स (CCCs): 1 टन CO₂ समतुल्य कमी के लिए जारी किए जाते हैं। ❖ दो घटक: <ul style="list-style-type: none"> ➢ अनुपालन तंत्र: चयनित क्षेत्रों के लिए अनिवार्य। ➢ ऑफसेट तंत्र: अन्य के लिए स्वैच्छिक: उत्सर्जन कम करना → क्रेडिट अर्जित करना। ❖ जिन इकाइयों का प्रदर्शन लक्ष्य से बेहतर होता है → CCCs अर्जित करते हैं, जिनका प्रदर्शन लक्ष्य से खराब होता है → CCCs खरीदने पड़ते हैं।
अनुपालन के तहत शामिल क्षेत्र (चरण-1)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कुल: 9 ऊर्जा-गहन क्षेत्र (~भारत के कुल GHG उत्सर्जन का 16%) ➢ एल्यूमिनियम ➢ उर्वरक (हाल ही में जोड़ा गया) ❖ विद्युत क्षेत्र: अभी के लिए बाहर (~40% GHG उत्सर्जन), बाद में शामिल हो सकता है।
कार्य तंत्र	<ul style="list-style-type: none"> ❖ यदि वास्तविक उत्सर्जन < लक्ष्य → अतिरिक्त CCCs मिलते हैं ❖ यदि वास्तविक उत्सर्जन > लक्ष्य → CCC खरीदना होगा ❖ गैर-अनुपालन के लिए b: EPA 1986 के तहत औसत CCC मूल्य का 2 गुना (CPCB द्वारा लगाया जाएगा)।
कार्यान्वयन एजेंसियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ MoEFCC: लक्ष्य जारी करता है। ❖ BEE: CCTS का प्रशासक ❖ CERC: CCCs के व्यापार को नियंत्रित करता है।
महत्व	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। ❖ भारतीय उद्योगों को वैश्विक कार्बन करों (जैसे EU CBAM) के लिए तैयार करता है। ❖ पहले के स्वैच्छिक ऑफसेट योजनाओं की तुलना में बाजार की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार।



प्रमुख अंतरः

पहलू	पीएटी (Perform Achieve and Trade) योजना	सीसीटीएस (कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना)
लाँच	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
मुख्य उद्देश्य	ऊर्जा दक्षता में सुधार (प्रति इकाई उत्पादन पर ऊर्जा उपयोग को कम करना)	उत्सर्जन में कमी (प्रति इकाई उत्पादन पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना)
मापन की इकाई	प्रति टन तेल समतुल्य (TOE) में कमी (ऊर्जा बचत)	प्रति टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी (CO_2 समतुल्य)
जारी किए गए प्रमाणपत्र	ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCert), 1 ESCert = एक टन तेल समतुल्य की बचत	कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCC), 1 CCC = 1 t CO_2 की कमी/रोकथाम
लक्ष्य चक्र	तीन साल के लक्ष्य चक्र	उत्सर्जन में कमी के लिए वार्षिक लक्ष्य
कवर किए गए क्षेत्र	मूल रूप से 13 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को शामिल किया गया (जैसे, बिजली संयंत्र, रेलवे, डिस्कॉम आदि)।	शुरुआत में 8-9 क्षेत्रों को शामिल करता है (लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, कपड़ा आदि) और समय के साथ और क्षेत्र जोड़े जाएंगे।
नियामक तंत्र	निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत (SEC) में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित और निगरानी की जाती है; लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाले ESCerts बेच सकते हैं, लक्ष्य से पीछे रहने वाले ESCerts खरीदते हैं।	संस्थाओं को क्षेत्र-विशिष्ट GHG उत्सर्जन लक्ष्य पूरे करने होते हैं; बेहतर प्रदर्शन करने वाले CCCs अर्जित करते हैं, कमतर प्रदर्शन करने वालों को CCCs खरीदने पड़ते हैं।
सह-लाभ	ऊर्जा की बचत से अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन में कमी	प्रत्यक्ष रूप से GHG में कमी
आगे की राह	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विद्युत और परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार। ❖ हर 3 साल में लक्ष्यों का अद्यतन। ❖ पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों से भविष्य में संभावित जुड़ाव। 	
निष्कर्ष	CCTS भारत की जलवायु नीति में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो केवल ऊर्जा बचत से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी की दिशा में ले जाता है। कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों और दंड प्रावधानों के साथ, यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है और वैश्विक जलवायु चुनौतियों के लिए भारत की तत्परता को बढ़ाता है।	



Topic 2 - भारत में जलवायु प्रवासन (Climate Migration)

Syllabus	जनसंख्या और प्रवास आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	बुंदेलखण्ड में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सूखा, बांग्लादेश के जमुना नदी बेसिन में बाढ़, और महाराष्ट्र में हीटवेव जैसी घटनाएं दक्षिण एशिया में जलवायु प्रवासन (Climate Migration) के संकट को उजागर करती है। जलवायु जोखिम अब बड़े पैमाने पर आजीविका विस्थापन का कारण बन रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण गरीबों के बीच।
जलवायु प्रवासन (Climate Migration) क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ यह जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण लोगों के मजबूरन विस्थापन को दर्शाता है, जिनमें शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> > तत्काल आपदाएं: बाढ़, चक्रवात, जंगल की आग। > धीमी गति से होने वाले परिवर्तन: समुद्र तल में वृद्धि, मरुस्थलीकरण, हिमनद पिघलना, लवणीकरण। ❖ आंतरिक प्रवासन सबसे सामान्य रूप है। <ul style="list-style-type: none"> > IRAP (2022) और IDMC के अनुसार, जलवायु आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष 20 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित होते हैं। ❖ प्रवासन का स्वरूप: <ul style="list-style-type: none"> > मौसमी या चक्रीय (उदाहरण: गन्ना प्रवासी) > स्थायी (जैसे दूबे या कटावग्रस्त गाँव)।

केस स्टडीज और क्षेत्रीय उदाहरण

क्षेत्र	जलवायु प्रभाव	प्रवास परिणाम
बुंदेलखण्ड (MP/UP)	1998-2009 के बीच 8-9 सूखे, जल स्तर में गिरावट; IMD 2100 तक 2-3.5°C वृद्धि का अनुमान	कृषि संकट → दिल्ली जैसे शहरी बाहरी क्षेत्रों में पलायन
चारपौली, बांग्लादेश	जमुना नदी में 12-52 मीटर/वर्ष की कटाई, 2022 में 1 सप्ताह में 500+ घर नष्ट	तटीय और नदी तट विस्थापन
विदर्भ और मराठवाड़ा	अत्यधिक गर्मी ($>50^{\circ}\text{C}$), अनियमित वर्षा, फसलें नष्ट	कोइता दंपति गन्ना कटाई के लिए 100-200 किमी पैदल चलते हैं।
सुंदरबन (WB)	चक्रवात अफ्फान + समुद्र तल वृद्धि	खेतों का लवणीकरण → शहरों की ओर व्युत्क्रम प्रवास
असम और पूर्वोत्तर	ब्रह्मपुत्र बाढ़ और भूस्खलन	जनजातीय समुदाय कृषि भूमि खोते हैं → शहरी झुगियों में प्रवास

जलवायु-प्रेरित प्रवास के प्रमुख चालक	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सूखा और मानसून विफलता <ul style="list-style-type: none"> > अनियमित वर्षा फसल चक्रों को नष्ट करती है (उदाहरण: बुंदेलखण्ड, मराठवाड़ा) > मौसमी और कर्ज-आधारित प्रवासन को जन्म देता है। ❖ बाढ़ और नदी कटाव <ul style="list-style-type: none"> > हिमालयी हिमनद पिघलना → नदी उफान और कटाव (उदाहरण: असम, बांग्लादेश) > गाँवों का दूबना, घर बह जाना ❖ हीटवेव और जल संकट <ul style="list-style-type: none"> > तापमान बढ़ने से कृषि श्रम मांग में गिरावट। > जीविका के लिए गाँव से शहरों की ओर पलायन। ❖ आय ह्रास और ग्रामीण कर्ज <ul style="list-style-type: none"> > फसल विफलता के कारण बंधुआ मजदूरी उभरती है। > ₹50,000-₹5 लाख की अग्रिम राशि परिवारों को शोषणकारी गन्ना अनुबंधों में बांधती है।
---	--



	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्राकृतिक पूंजी की हानि <ul style="list-style-type: none"> > भूमि क्षरण, वन हानि, भूजल में कमी → सीमांत किसानों को शहरों की ओर धकेलता है।
जलवायु प्रवास को संबोधित करने में प्रमुख चुनौतियां	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कोई कानूनी मान्यता नहीं: भारत NDMA अधिनियम या आपदा प्रतिक्रिया कानूनों के तहत "जलवायु प्रवासियों" को मान्यता नहीं देता। ❖ सामाजिक सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी का अभाव: राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान भारत, MGNREGA जैसी सुविधाएं नए स्थानों पर उपलब्ध नहीं ❖ आवास और आजीविका का अभाव: बस्तियां अस्थायी प्लास्टिक टैंट हैं, बिना बिजली या पानी (उदाहरण: महाराष्ट्र गन्ना शिविर)। ❖ ऋण जाल: फसल आधारित भुगतान, कम उत्पादन → वर्षों की बंधुआ स्थिति। ❖ प्रवासन डेटा की कमी: भारत में कोई जलवायु प्रवासन सूचकांक या ट्रैकिंग तंत्र नहीं।
संवैधानिक और नीतिगत दृष्टिकोण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अनुच्छेद 21: जीवन का अधिकार गरिमा, आश्रय, और स्वच्छ पर्यावरण को शामिल करता है। ❖ अनुच्छेद 38 और 39: असमानताओं को कम करने और कमज़ोर वर्गों की रक्षा का जनादेश।
आगे का रास्ता: अनुकूलन-केंद्रित और मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण	<ol style="list-style-type: none"> 1. कानूनी मान्यता और ढांचा- NDMA अधिनियम, शहरी रोजगार गारंटी, और ग्रामीण-शहरी नीतियों में "जलवायु प्रवासियों" को मान्यता दें। 2. सामाजिक सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी- वन नेशन वन राशन कार्ड, ई-श्रम, आधारित योजनाएं प्रवासियों के लिए भी उपलब्ध हो। 3. जलवायु-सुदृढ़ ग्रामीण आजीविका- MGNREGA को जल संचयन, कृषिवानिकी, मृदा पुनर्जनन के लिए घटकों के साथ विस्तार करें। 4. आजीविका विविधीकरण और कौशल विकास- मौसमी कौशल वैन, नौकरी-मिलान ऐप्स, और प्रवासियों के लिए सूक्ष्म-ऋण प्रदान करें (जैसे महाराष्ट्र के कोइता दंपति)। 5. राष्ट्रीय जलवायु प्रवास सूचकांक <ol style="list-style-type: none"> a. IMD, जनगणना, SECC, NDMA, NRSC डेटा का उपयोग कर जिला-वार जोखिम मैपिंग बनाएं। b. इसे राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCCs) में शामिल करें। 6. प्रवासियों के लिए शहरी नियोजन- स्मार्ट सिटी, PMAY, मलिन बस्ती उन्नयन में जलवायु प्रवासियों को पहचान संरक्षण और आवास अधिकारों के साथ एकीकृत करें।
निष्कर्ष	<p>जलवायु प्रवासन भविष्य की चिंता नहीं है—यह भारत की वर्तमान चुनौती है। असम के बाढ़ प्रभावित मैदानों से लेकर महाराष्ट्र के सूखा क्षेत्रों तक, जलवायु परिवर्तन आजीविका को विस्थापित कर रहा है, परिवारों को विघटित कर रहा है, और शासन तंत्र की परीक्षा ले रहा है। यदि भारत अधिकार-आधारित, समावेशी और जलवायु-लचीली नीति नहीं अपनाता है, तो यह असमानता को और गहरा कर सकता है और सबसे कमज़ोर क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा सकता है।</p> <p>अब जलवायु सुदृढ़ता न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि यह एक संवैधानिक और नैतिक अनिवार्यता है।</p>



Topic 3 - रोडिस (RhoDIS) इंडिया कार्यक्रम

रोडिस (RhoDIS) इंडिया कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> ❖ शुभारंभ: 2016 में पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII), WWF-India और असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के वन विभागों के साथ। ❖ रोडिस (RhoDIS) = राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम <ul style="list-style-type: none"> ➢ वन्यजीव फोरेंसिक उपकरण जो डीएनए के माध्यम से प्रत्येक गैंडे की पहचान और निगरानी करता है। ➢ अपराध जांच और गैंडा जनसंख्या प्रबंधन के लिए उपयोग। ❖ नवीनतम अपडेट (2025): <ul style="list-style-type: none"> ➢ 2,573 गैंडे की सींगों के नमूनों का डीएनए विश्लेषण जारी है। ➢ प्रत्येक सींग के लिए एक अद्वितीय आनुवंशिक प्रोफ़ाइल बनाई जाएगी।
महत्वपूर्ण क्यों?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अवैध गैंडे की सींगों के व्यापार को रोकने में मदद करता है। ❖ वन्यजीव अपराधों की कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। ❖ वैज्ञानिक डेटा द्वारा गैंडा संरक्षण को समर्थन देता है।
गैंडे की सींग की संरचना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ केराटिन से बनी होती है (जैसे घोड़े के खुर और कछुए की चोंच)। ❖ इसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल (जैसे सिस्टीन), कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट होता है।

Topic 4 - ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (TATR)

संदर्भ	<p>20 गांवों में लाउडस्पीकरों के साथ एक AI-आधारित चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है ताकि स्थानीय लोगों को बाघों की गतिविधियों के बारे में सचेत किया जा सके—इसका उद्देश्य मानव-जानवर संघर्ष को कम करना है।</p>
स्थान और महत्व	<ul style="list-style-type: none"> ❖ चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में स्थित। ❖ राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ❖ आदिवासी देवता 'ताडोबा/तरु' और अंधारी नदी के नाम पर रखा। 
पारिस्थितिक प्रोफाइल	<ul style="list-style-type: none"> ❖ हिस्सा: मध्य पठार (दक्कन प्रायद्वीप – जैवभौगोलिक क्षेत्र)। ❖ शामिल: ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान + अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ❖ कॉरिडोर संपर्क: नागझिरा-नवेगांव और पेंच टाइगर रिजर्व।



Topic 5 - भारत ने 50% गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता हासिल की—2030 लक्ष्य से पहले

Syllabus	पर्यावरण और ऊर्जा अंतरराष्ट्रीय समझौते सतत विकास
संदर्भ	30 जून 2025 को, भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों ने कुल स्थापित विद्युत क्षमता (~484.8 GW) का 50.08% (242.8 GW) हिस्सा पार कर लिया। यह लक्ष्य भारत ने पेरिस समझौते (2030) से पाँच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया है।

स्थापित क्षमता मिश्रण (30 जून 2025 तक):

स्रोत	GW	% हिस्सा
तापीय ऊर्जा (कोयला आदि)	242.0	49.9%
नवीकरणीय ऊर्जा	184.6	38.1%
बड़े जलविद्युत	49.4	10.2%
परमाणु	8.8	1.8%
गैर-जीवाश्म ईंधन	242.8	50.1%

प्रमुख बिंदु	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 2015 में, गैर-जीवाश्म क्षमता केवल 30% थी, और 2020 तक यह 38% तक पहुंची। ❖ जून 2025 तक, सौर ऊर्जा क्षमता 116 GW और पवन ऊर्जा क्षमता 51.7 GW तक पहुंची। ❖ भारत अब नवीकरणीय क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है - चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद।
इस संक्रमण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PM-कुसुम: सौलर पंप और फीडर स्तर पर सौर ऊर्जा → ऊर्जा सुरक्षित कृषि। ❖ PM सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सौलर। ❖ सौलर पार्क: उपयोगिता स्तर की सौर परियोजनाएं, न्यूनतम टैरिफ पर। ❖ पवन-सौर हाइब्रिड नीति: दिन-रात की मांग संतुलन हेतु → भूमि का बेहतर उपयोग, ग्रिड स्थिरता और लागत प्रभावी उत्पादन। ❖ राष्ट्रीय बायो-एनर्जी कार्यक्रम: बायोगैस, बायोमास, और वेस्ट-टू-एनर्जी को प्रोत्साहन → सर्कुलर इकोनॉमी + ग्रामीण रोज़गार। ❖ सौर पीवी मॉड्यूल्स के लिए पीएलआई योजना: उच्च दक्षता वाले घरेलू मॉड्यूल निर्माण को बढ़ावा। ❖ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना: नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। ❖ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: वैकल्पिक ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा।
विद्यमान संरचनात्मक चुनौतियां	<ul style="list-style-type: none"> ❖ उच्च लागत, आयात शुल्क, और घरेलू सोसिंग शर्तें बैटरी तैनाती में बाधक। ❖ चीनी आपूर्ति श्रृंखला और दुर्लभ खनिजों पर अत्यधिक निर्भरता। ❖ HVDC ट्रांसफार्मर की कमी, लंबी दूरी की बिजली संचरण को प्रभावित करती है। ❖ ~30 GW की मौजूदा नवीकरणीय परियोजनाओं के पास बिजली खरीद समझौते (PPAs) नहीं → वित्तीय तनाव। ❖ ग्रिड और संचरण अवसंरचना में कम निवेश नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि को और धीमा करता है।
निष्कर्ष और भविष्य का दृष्टिकोण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत ने स्थापित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में सराहनीय प्रगति की है, लेकिन वास्तविक बिजली उत्पादन में इसका हिस्सा अभी भी कम है। ❖ भंडारण विकास, संचरण सुधार, और बैटरी घटकों का घरेलू विनिर्माण महत्वपूर्ण हैं। ❖ लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना, ग्रिड विश्वसनीयता और ऊर्जा सुरक्षा के साथ।



Topic 6 - प्लास्टिक कचरे में अंतःस्रावी विघटनकारी (Endocrine Disruptors)

Syllabus	पर्यावरण - प्रदूषण
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत में मानव रक्त, प्रजनन तरल पदार्थों और अंगों में माइक्रोप्लास्टिक (≤ 5 मिमी) और अंतःस्रावी विघटनकारी रसायनों (EDCs) के खतरनाक स्तर पाए गए हैं। ❖ ये विषैले पदार्थ बांझापन, कैंसर, हार्मोन असंतुलन और दीर्घकालिक बीमारियों से जुड़े हुए हैं।
प्रमुख निष्कर्ष और स्वास्थ्य प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत: वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक (9.3 मिलियन टन/वर्ष)। ❖ अंतःस्रावी विघटनकारी रसायन (EDCs): <ul style="list-style-type: none"> ➢ हार्मोन (एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड) में हस्तक्षेप करते हैं। ➢ BPA, फ्थेलेट्स, PFAS में पाए जाते हैं। ➢ स्रोत: प्लास्टिक की बोतलें, सौंदर्य प्रसाधन, कुकवेयर, मेडिकल ट्यूबिंग। ❖ स्वास्थ्य जोखिम: <ul style="list-style-type: none"> ➢ पुरुष: शुक्राणु संख्या में कमी, टेस्टोस्टेरोन स्तर में गिरावट, बांझापन ➢ महिलाएं: PCOS, अंडों की गुणवत्ता खराब, गर्भपात ➢ बच्चे: समय से पहले यौवन, ADHD, अस्थमा ➢ अन्य: मधुमेह, मोटापा, थायरॉयड समस्याएं, कैंसर (स्तन, गर्भाशय, प्रोस्टेट, वृषण)।
भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	<p>प्रमुख डेटा:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ प्लास्टिक कचरा उत्पन्न (2020-21): ~4.2 मिलियन टन/वर्ष ❖ प्रति व्यक्ति कचरा: पिछले 5 वर्षों में दोगुना।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (2024 में संशोधन)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ लागू: सभी हितधारकों पर → कचरा उत्पादक, स्थानीय निकाय, पंचायतें, उत्पादक, ब्रांड मालिक, आयातक। ❖ कैरी बैग की मोटाई: <ul style="list-style-type: none"> ➢ 50 → 75 माइक्रोन (30 सितंबर, 2021 से), 120 माइक्रोन (31 दिसंबर, 2022 से)। ❖ एकल उपयोग प्लास्टिक (SUPs): उच्च कूड़ा-करकट और कम उपयोगिता के कारण कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध। ❖ विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR): उत्पादकों को उनके उत्पादों में प्रयुक्त प्लास्टिक के संग्रहण और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी दी गई है।



Topic 7 - क्योटो प्रोटोकॉल

Syllabus	पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, चर्चित व्यक्तित्व
संदर्भ	भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार और क्योटो प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता विजय शर्मा की मृत्यु ने इस ऐतिहासिक संधि पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।
क्योटो प्रोटोकॉल क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि। ❖ UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन) के तहत 1997 में अपनाया गया, 2005 में लागू हुआ। ❖ वैश्विक तापमान वृद्धि से निपटने के लिए छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों को कम करने का लक्ष्य: कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रोजन ऑक्साइड (N_2O), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), परफ्लोरोकार्बन (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF_6)। ❖ प्रमुख विशेषताएं और प्रावधान <ul style="list-style-type: none"> > विकसित देशों (Annex I राष्ट्र) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य। > विकासशील देशों (भारत, चीन) के लिए कोई अनिवार्य लक्ष्य नहीं। > कमजोर विकासशील देशों की मदद के लिए अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) की स्थापना। ❖ प्रतिबद्धता अवधियां <ul style="list-style-type: none"> > पहली अवधि (2008–2012): <ul style="list-style-type: none"> ■ लक्ष्य: 1990 के उत्सर्जन स्तर से 5.2% कटौती। > दूसरी अवधि (2013–2020): <ul style="list-style-type: none"> ■ दोहा संशोधन के रूप में जाना जाता है (सीमित अनुसमर्थन)। ❖ वैश्विक स्थिति <ul style="list-style-type: none"> > 192 देशों द्वारा अनुसमर्थित। > पेरिस समझौते (2015) ने इसे प्रतिस्थापित किया, लेकिन यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना हुआ है।
भारत की भूमिका	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भारत UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, और पेरिस समझौते का पक्षकार है। ❖ जैविक विविधता कन्वेंशन (CBD) और मरुस्थलीकरण कन्वेंशन (UNCCD) का भी हस्ताक्षरकर्ता।
निष्कर्ष	क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु कूटनीति में एक अग्रणी कदम था, जिसने पेरिस समझौते जैसे भविष्य के फ्रेमवर्क की नींव रखी। भारत की भागीदारी वैश्विक जलवायु वार्ताओं में उसकी सतत भूमिका को दर्शाती है।



SMA and SBL (Unit - III)

Topic 1 - शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर यौन हिंसा

Syllabus	विधि राजव्यवस्था शासन सामाजिक न्याय
संदर्भ	ओडिशा के फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज में एक 20 वर्षीय बी.एड. छात्रा की आत्महत्या, जिसमें एक वरिष्ठ शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप थे, ने संस्थागत उदासीनता और प्रणालीगत विफलताओं की राष्ट्रव्यापी जांच को उत्प्रेरित किया है। यह त्रासदी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक (मंगलूरु) और दिल्ली की समान घटनाओं की प्रतिध्वनि है, जो महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए तंत्र में गहराई तक फैली खामियों को उजागर करती है।
प्रमुख घटनाएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ओडिशा: पीड़िता ने बार-बार उत्पीड़न की शिकायत की; मुख्यमंत्री कार्यालय तक की गुहार को नजरअंदाज किया गया। ❖ पश्चिम बंगाल: कॉलेज परिसर में एक लॉ छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार। ❖ मंगलूरु: एक महिला छात्रा के साथ सिलसिलेवार बलात्कार के लिए लेक्चरर और कर्मचारी गिरफ्तार। ❖ दिल्ली: एक सार्वजनिक पार्क में 9 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या। <p>ये घटनाएं संस्थानों में सुरक्षा के भयावह क्षरण को उजागर करती हैं।</p>
कानूनी और संस्थागत ढांचा	<ul style="list-style-type: none"> ❖ POSH अधिनियम, 2013 <ul style="list-style-type: none"> > 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करने की आवश्यकता। > गोपनीय जांच, शिकायत निवारण, और अनिवार्य प्रशिक्षण का जनादेश। ❖ IPC प्रावधान <ul style="list-style-type: none"> > धारा 354A: यौन उत्पीड़न को शामिल करती है। > धारा 376: बलात्कार को परिभाषित करती है। > धारा 509: महिला की गरिमा का अपमान करने वाले कृत्यों को दंडित करती है। ❖ अपराध डेटा (NCRB, 2022) <ul style="list-style-type: none"> > महिलाओं के खिलाफ ~4.45 लाख अपराध दर्ज। > 31.4% पति/रिश्तेदारों द्वारा कूरता; 18.7% लज्जा भंग करने के इरादे से हमला; 7.1% बलात्कार। > विशेषज्ञों का सुझाव है कि कलंक या डर के कारण कम रिपोर्टिंग के चलते वास्तविक घटनाएं 2-3 गुना अधिक हो सकती हैं।
मुख्य विफलताएं और प्रणालीगत कमियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ संस्थागत लापरवाही <ul style="list-style-type: none"> > कई ICC सक्रिय नहीं हैं या अस्तित्व में ही नहीं। > विलंबित कार्रवाई, अप्रशिक्षित स्टाफ और क्लेरिकल लापरवाही से पीड़ित का मानसिक आघात बढ़ता है। ❖ सांस्कृतिक बाधाएं <ul style="list-style-type: none"> > पितृसत्तात्मक सोच और पीड़िता को दोष देने की प्रवृत्ति रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करती है। > "समुदायों और संस्थाओं में लिंग संबंधी मानदंड मौन को बढ़ावा देते हैं।" ❖ जवाबदेही का अभाव <ul style="list-style-type: none"> > किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ICC का लेखा परीक्षण या निगरानी नहीं। > दण्डमुक्ति बार-बार अपराधों और नैतिक क्षरण को जन्म देती है।
आगे का रास्ता: प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ICC को सशक्त बनाना <ul style="list-style-type: none"> > 30 दिनों के भीतर ICC गठन अनिवार्य करें; स्वतंत्र सदस्य (मनोवैज्ञानिक, कानूनी विशेषज्ञ) शामिल करें। > वार्षिक ICC ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था।



	<ul style="list-style-type: none"> ❖ न्याय में तेजी <ul style="list-style-type: none"> > परिसर-आधारित यौन अपराधों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करें। > मामलों की स्थिति की नियमित सूचना → पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना। ❖ सांस्कृतिक परिवर्तन <ul style="list-style-type: none"> > स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक जेंडर सेंसिटाइजेशन को पाठ्यक्रम में शामिल करना। > कैंपस में सहमति, हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका और लैंगिक सम्मान पर कार्यशालाएं। ❖ पीड़ित समर्थन ढांचा <ul style="list-style-type: none"> > मानसिक परामर्श, कानूनी सहायता, और शिक्षा की निरंतरता (जैसे कक्षा स्थानांतरण, ऑनलाइन मोड्यूल)। > शिकायतकर्ता की पहचान और सुरक्षा की पूर्ण गारंटी सुनिश्चित करें। ❖ जन-जागरूकता और भागीदारी <ul style="list-style-type: none"> > छात्र संघों और नागरिक समाज को निगरानीकर्ता के रूप में सशक्त करें। > #CampusSafety जैसे अभियानों को बढ़ावा दें, जो रिपोर्टिंग और रोकथाम रणनीतियों को प्रोत्साहित करते हैं।
निष्कर्ष	सशक्तिकरण के लिए बने संस्थानों में यौन हिंसा का बढ़ना यह दर्शाता है कि केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं। सामाजिक मानसिकता में बदलाव, संस्थागत जवाबदेही, और संरचनात्मक सुधारों के बिना रोकथाम मायावी बनी रहेगी। इससे पहले कि अगली त्रासदी घटे, संविधान की मूल भावना का सम्मान करने और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए भारत को एक बहुपक्षीय, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

Topic 2 - एआई बनाम कॉपीराइट: एक कानूनी-नैतिक बहस

Syllabus	विधि - बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
संदर्भ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जनरेटिव एआई (ChatGPT, DALL·E आदि) के उभार ने निम्नलिखित विवादों को जन्म दिया है: <ul style="list-style-type: none"> > कॉपीराइटेड सामग्री से प्रशिक्षण डेटा लिया गया → क्या एआई को कॉपीराइटेड कृतियों पर प्रशिक्षित करना "उचित उपयोग" (fair use) है या उल्लंघन? > एआई-निर्मित आउटपुट का स्वामित्व → क्या एआई का उपयोग "परिवर्तनात्मक" (transformative) है? या यह मूल रचनाकार के बाजार को नुकसान पहुँचाता है? ❖ मुकदमे: ANI बनाम OpenAI (भारत), NYT बनाम OpenAI/Microsoft (अमेरिका)।
कानूनी अनिश्चितता और बौद्धिक संपदा चिंताएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पुस्तकों, लेखों, डेटासेट्स का एआई प्रशिक्षण के लिए उपयोग → कॉपीराइट, अनुबंध, और डेटा गोपनीयता कानूनों के अंतर्गत मुद्दे उत्पन्न करता है। ❖ कोई वैश्विक सहमति नहीं है कि एआई द्वारा उत्पन्न सामग्री को कॉपीराइट मिलना चाहिए या नहीं। ❖ एआई में मानवीय लेखन क्षमता नहीं होती → पारंपरिक कानूनों के तहत कॉपीराइट प्रदान करना कठिन। ❖ स्वामित्व, मुआवज़ा और बाज़ार पर प्रभाव को लेकर बहस तेज़।

वैश्विक दृष्टिकोण

क्षेत्र	स्थिति
अमेरिका	"उचित उपयोग" (transformative use) की ओर झुकाव; NYT बनाम OpenAI केस प्रगति पर
यूरोपीय संघ/यूके	टेक्स्ट और डेटा माइनिंग (TDM) अपवादों के तहत एआई प्रशिक्षण की अनुमति
जापान	कॉपीराइटेड सामग्री पर एआई प्रशिक्षण को व्यापक रूप से अनुमति
चीन	लाइसेंसिंग आवश्यक, मानव लेखन को प्राथमिकता



भारत

कानून विकसित हो रहे हैं; ANI बनाम OpenAI मामला प्रमुख

एआई एवं कॉपीराइट पर भारत की स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रमुख कानून: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 <ul style="list-style-type: none"> > धारा 13 और 14: साहित्यिक, कलात्मक, नाट्य कृतियों की सुरक्षा। > धारा 52: आलोचना, शिक्षा, अनुसंधान, व्यक्तिगत उपयोग के लिए "उचित व्यवहार" की अनुमति। > एआई को लेखक के रूप में मान्यता नहीं → केवल व्यक्ति या कानूनी इकाई को अधिकार मिल सकता है। ❖ ANI बनाम OpenAI मामला (2024-25): <ul style="list-style-type: none"> > ANI ने आरोप लगाया कि OpenAI ने उसकी समाचार सामग्री का बिना अनुमति उपयोग किया। > मुद्दा: क्या एआई प्रशिक्षण "उचित व्यवहार" में आता है या "अनधिकृत पुनरुत्पादन"? ❖ भारत TRIPS और WIPO का सदस्य है → डिजिटल सामग्री सहित वैश्विक सुरक्षा मानक लागू करता है।
निष्कर्ष	न्यायालय धीरे-धीरे एआई के कॉपीराइट दायरे को स्पष्ट कर रहे हैं → प्रशिक्षण के लिए उचित उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है लेकिन पायरेटेड डेटा को खारिज किया जा रहा है। भारत में चल रही मुकदमेबाज़ी यह परीक्षण करेगी कि पारंपरिक कानून एआई युग की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं।

Topic 3 - राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025

Syllabus	खेल
संदर्भ	केंद्र सरकार मानसून सत्र में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पेश करेगी ताकि खेल प्रशासन में सुधार किया जाए और पारदर्शिता तथा खिलाड़ी-केंद्रित शासन सुनिश्चित किया जाए।
विधेयक के उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> ❖ राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) के शासन में सुधार। ❖ खिलाड़ी-केंद्रित, पारदर्शी, और जवाबदेह कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना। ❖ विवाद समाधान में तेजी लाना और कानूनी संघर्षों को कम करना। ❖ BCCI सहित सभी प्रमुख खेल निकायों को एक ढांचे के तहत लाना।
प्रमुख प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> ❖ राष्ट्रीय खेल बोर्ड <ul style="list-style-type: none"> > केंद्रीय निरीक्षण निकाय, जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार: <ul style="list-style-type: none"> ■ NSFs की मान्यता/निलंबन ■ चुनावों और शासन मानकों की निगरानी ■ खिलाड़ी कल्याण सुनिश्चित करना। > सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा अध्यक्षता। ❖ राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल (NST) <ul style="list-style-type: none"> > सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा नेतृत्व। > क्षेत्राधिकार: <ul style="list-style-type: none"> ■ NSF चुनाव, चयन, प्रशासन में विवाद ■ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में। > अपवाद: <ul style="list-style-type: none"> ■ ओलंपिक/एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों के विवाद ■ अंतरराष्ट्रीय महासंघों के तहत मामले ■ डोपिंग-विरोधी (NADA द्वारा संभाला जाता है)।



Topic 4 - मानसिक स्वास्थ्य और छात्र आत्महत्या

Syllabus	शासन & व्यवहार
संदर्भ और पृष्ठभूमि	<ul style="list-style-type: none"> ❖ छात्रों की आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या (2022 में 13,044 - NCRB) को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। ❖ प्रमुख मामला: एक 17 वर्षीय NEET अभ्यर्थी की आत्महत्या के संदर्भ में SC ने राष्ट्रव्यापी नीति दिशा-निर्देश जारी किए। ❖ न्यायालय ने इस संकट को शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना की “प्रणालीगत विफलता” करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख दिशा-निर्देश	<ul style="list-style-type: none"> ❖ दिशा निर्देश सार्वभौमिक रूप से लागू <ul style="list-style-type: none"> > सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों (सरकारी एवं निजी) पर लागू। > जब तक राष्ट्रीय कानून नहीं बनता, तब तक इन दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य। ❖ काउंसलर (परामर्शदाता) की अनिवार्यता <ul style="list-style-type: none"> > 100 से अधिक छात्रों वाले संस्थान: कम से कम 1 योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। > छोटे संस्थान: बाहरी विशेषज्ञों से रेफरल संबंध स्थापित करें। ❖ सुरक्षा उपाय (इन्फ्रास्ट्रक्चर) <ul style="list-style-type: none"> > छेड़छाड़-प्रतिरोधी सीलिंग फैन लगाना अनिवार्य। > हॉस्टल/आवासीय संस्थानों में छत तक पहुँच प्रतिबंधित करना। ❖ शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक सुधार <ul style="list-style-type: none"> > प्रदर्शन के आधार पर छात्रों का अलग-अलग बैचों में वर्गीकरण (Batch Segregation) पर प्रतिबंध। > सार्वजनिक रूप से अपमान, अव्यावहारिक लक्ष्य तय करने, अत्यधिक दबाव जैसी प्रथाओं पर रोक। ❖ शिकायत निवारण और जवाबदेही <ul style="list-style-type: none"> > उत्पीड़न, बुलिंग, भेदभाव के लिए गोपनीय शिकायत तंत्र स्थापित करें। > शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिशोध → संस्थान की जिम्मेदारी तय होगी। > प्रशासनिक निष्क्रियता → कानूनी दंड संभव। ❖ संदर्भ के लिए नीति ढांचे <ul style="list-style-type: none"> > उम्मीद दिशानिर्देश (Understand, Motivate, Manage, Empathise...) > मनोदर्पण पहल (शिक्षा मंत्रालय - COVID-19 प्रतिक्रिया) > राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022) ❖ संस्थागत समर्थन और कार्यान्वयन <ul style="list-style-type: none"> > प्रत्येक संस्थान को वार्षिक मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनानी होगी। > आत्महत्या रोकथाम और निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कार्य बल (National Task Force) का प्रस्ताव दिया।
महत्व और आगे की राह	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मानसिक स्वास्थ्य को जीवन और शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न अंग माना गया। ❖ उद्देश्य: प्रतिस्पर्धी दबाव की जगह सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण। ❖ इसकी सफलता निम्न पर निर्भर करती है: <ul style="list-style-type: none"> > राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध क्रियान्वयन > स्टाफ/काउंसलर हेतु बजट > शिक्षकों और अभिभावकों की संवेदनशीलता।







Topic 5 - भारत में दहेज मृत्यु

Syllabus	भारतीय समाज, महिलाओं से संबंधित मुद्दे
संदर्भ	कड़े कानून और जागरूकता में वृद्धि के बावजूद उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में दहेज से जुड़ी मौतों में वृद्धि ने दहेज हिंसा के लगातार खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रमुख परिभाषाएं	<ul style="list-style-type: none"> ❖ दहेज मृत्यु (धारा 80): <ul style="list-style-type: none"> > विवाह के 7 वर्षों के भीतर अस्वाभाविक परिस्थितियों में किसी महिला की मृत्यु, जो दहेज से संबंधित क्रूरता से जुड़ी हो। > सजा: न्यूनतम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। ❖ क्रूरता (धारा 86): <ul style="list-style-type: none"> > इसमें दहेज के लिए उत्पीड़न, धमकियाँ, और दहेज न देने के लिए दंडित करने या मजबूर करने के लिए शारीरिक/मानसिक दुर्व्यवहार शामिल है।
दहेज मृत्यु अब भी क्यों जारी हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पितृसत्तात्मक समाज की गहरी जड़े: <ul style="list-style-type: none"> > महिलाओं को आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है, दहेज को "उपहार" के रूप में सामाजिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। > पुरुषों का अधिकार भाव दहेज की मांगों को बढ़ावा देता है। ❖ समस्या की व्यापकता: <ul style="list-style-type: none"> > NCRB के अनुसार, देश में प्रति वर्ष औसतन लगभग 7,000 दहेज मृत्यु होती हैं, जिनमें से 60% से अधिक मामले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और हरियाणा से होते हैं। ❖ आर्थिक दबाव: <ul style="list-style-type: none"> > उपभोक्तावाद और महंगे शादी समारोह दहेज की मांगें बढ़ाते हैं। > सोशल मीडिया भव्य शादी की कल्पना को प्रोत्साहित करता है। ❖ हिंसा का सामान्यीकरण: <ul style="list-style-type: none"> > दहेज उत्पीड़न को "घरेलू मामला" मानकर नजरअंदाज किया जाता है। > जागरूकता की कमी और सामाजिक कलंक पीड़ितों को चुप रहने को मजबूर करते हैं। ❖ कानूनी और न्यायिक चुनौतियां <ul style="list-style-type: none"> > खराब जांच: <ul style="list-style-type: none"> ■ करीब 7,000 मामलों में से केवल लगभग 4,500 का आरोप पत्र दाखिल होता है। ■ 2022 में 67% मामलों की जांच छह महीने से अधिक लंबित रही। > न्यायिक देरी: <ul style="list-style-type: none"> ■ 90% से अधिक मुकदमों में देरी; सजा की दर अत्यंत कम (~100 प्रतिवर्ष)। ■ चार्जशीट दाखिल करने में देरी से न्याय वितरण कमजोर होता है। > पुलिस-न्यायपालिका के बीच समन्वय में कमी: <ul style="list-style-type: none"> ■ कानूनी कार्रवाई के बजाय अक्सर मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जाती है। ■ पीड़िता को दोषी ठहराना, डर और सामुदायिक दबाव रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करते हैं।
न्यायिक टिप्पणियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ संजय कुमार जैन बनाम दिल्ली सरकार (2011): दहेज सामाजिक अभिशाप है जिसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। ❖ प्रेमा राव केस (2003): कानूनों को प्रभावी होने के लिए दृढ़ता से लागू करना होगा। ❖ सतवीर सिंह (1998) और गोपाल रेडी (1996): दहेज अपराध है और कानून दहेज देने वालों और लेने वालों दोनों पर लागू होना चाहिए।

**समाधान के लिए
कदम**

- ❖ **आर्थिक सशक्तिकरण:**
 - > बाल विवाह निषेध अधिनियम, RTE को लागू करें; बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, कौशल विकास को बढ़ावा दें।
 - > शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं बेहतर सुरक्षित होती हैं।
- ❖ **शिकायत तंत्र का सरल बनाना:**
 - > गुमनाम शिकायतों के लिए ऐप्स और हेल्पलाइन स्थापित करें; क्षिलब्लोअर की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- ❖ **न्यायिक एवं पुलिस सुधार:**
 - > दहेज मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएं; पुलिस को महिला संबंधी मामलों के प्रति संवेदनशील बनाएं।
- ❖ **पीड़िताओं के लिए निकास विकल्प:**
 - > आश्रय, कानूनी सहायता, नौकरी, और नकद समर्थन प्रदान करें।
 - > समर्थन प्रणालियों के बिना, कई महिलाएँ इस जाल में फँसी रहती हैं।
- ❖ **जागरूकता अभियान:**
 - > **दहेज विरोधी अभियान** और **कानूनी शिक्षा** के माध्यम से सामाजिक सोच में बदलाव लाएं।





विविध

Topic 1 - स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25

Syllabus	Index, Reports
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मंत्रालय: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ❖ थीम: “एक शहर, एक पुरस्कार” – समावेशी और प्रतिस्पर्धी ❖ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता <ul style="list-style-type: none"> > सुपर स्वच्छ लीग शहर: इंदौर, सूरत, नवी मुंबई — शीर्ष श्रेणी के स्वच्छ शहर > स्वच्छ शहर: अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ — नई पीढ़ी के स्वच्छ शहर। > विशेष पुरस्कार: <ul style="list-style-type: none"> ■ सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर: प्रयागराज ■ सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड: सिकंदराबाद छावनी ■ सर्वश्रेष्ठ सफाईमित्र सुरक्षित शहर: विशाखापत्तनम (जीवीएमसी), जबलपुर, गोरखपुर। ❖ कार्यप्रणाली <ul style="list-style-type: none"> > मूल्यांकन 10 मानदंडों और 54 संकेतकों के आधार पर किया गया। 
राजस्थान का प्रदर्शन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ केवल जयपुर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और झूंगरपुर को पुरस्कार समारोह के लिए आमंत्रित किया गया ❖ जयपुर ग्रेटर: राज्य-स्तरीय शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में मान्यता प्राप्त; राष्ट्रीय रैंक समारोह के दौरान घोषित होगी ❖ झूंगरपुर: लगातार उच्च प्रदर्शन (<50,000 जनसंख्या), SSL शहर श्रेणी में पुरस्कृत। ❖ रुद्धान और चिंताएं: <ul style="list-style-type: none"> > राजस्थान की समग्र रैंकिंग में गिरावट: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2021 - 12वां, 2022 - 8वां, 2023 - 25वां राष्ट्रीय स्तर पर > प्रणालीगत समस्याएं: <ul style="list-style-type: none"> ■ गीले/सूखे कचरे का खराब पृथक्करण ■ अनियमित कचरा संग्रहण ■ जयपुर के बाहर सीमित निर्माण और विध्वंस (C&D) कचरा निपटान।
शुरू की गई नई पहलें	<ul style="list-style-type: none"> ❖ स्वच्छ सिटी भागीदारी <ul style="list-style-type: none"> > 78 शीर्ष शहर एक कमजोर प्रदर्शन वाले शहर को मार्गदर्शन देंगे > “ईच वन क्लीन वन” — पीयर लर्निंग मॉडल।



- ❖ त्वरित डंपसाइट निवारण कार्यक्रम
 - > प्रारंभ: 15 अगस्त 2025 को
 - > उद्देश्य: विरासत कचरे की तेज़ी से सफाई और शहरी भूमि को पुनः प्राप्त करना।
 - > वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना।

Topic 2 - विम्बलडन 2025 हाइलाइट्स

Syllabus	खेल
Context	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विम्बलडन - एकमात्र ग्रैंड स्लैम जो अभी भी घास के कोर्ट पर खेला जाता है, अपनी भव्यता और उत्कृष्टता की विरासत को जारी रखता है।
अन्य ग्रैंड स्लैम	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ऑस्ट्रेलियन ओपन - हार्ड कोर्ट ❖ फ्रेंच ओपन - क्ले कोर्ट ❖ यूएस ओपन - हार्ड कोर्ट

विम्बलडन 2025 चैंपियंस

वर्ग	विजेता
पुरुष एकल	<ol style="list-style-type: none"> 1. जैनिक सिनर (इटली) 2. कालोस अल्काराज़ (स्पेन)
पुरुष युगल	<ol style="list-style-type: none"> 1. जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल 2. रिंकी हिजिकाता और डेविड पेल
महिला एकल	<ol style="list-style-type: none"> 1. इगा स्वियातेक (पोलैंड) 2. अमांडा अनिसिमोवा (यूएसए)
महिला युगल	<ol style="list-style-type: none"> 1. वेरोनिका कुदरमेतोवा और एलिस मर्टेन्स 2. जेलेना ओस्तापेंको और हिसेह सु-वई
मिश्रित युगल	<ol style="list-style-type: none"> 1. कातेरिना सिनियाकोवा और सेम वर्बीक 2. लुइसा स्टेफानी और जो सैलिसबरी

Topic 3 - वीर परिवार सहायता योजना 2025

- ❖ शुरू : राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा → रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, और CAPFs के सहयोग से।
- ❖ सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, और उनके परिवारों के लिए मुफ्त, सक्षम कानूनी सेवाएं; मोबाइल विलिनिक और ऑनलाइन कानूनी सहायता शामिल।
- ❖ विशेष जोर:
 - > दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानूनी समर्थन सुनिश्चित करना, मोबाइल और डिजिटल मंचों का उपयोग।
 - > जागरूकता और पहुंच: संपत्ति अधिकार, सेवा मामलों और पेंशन अधिकारों पर रक्षा परिवारों को जागरूक करने के लिए नियमित कार्यशालाएं और विधिक शिविर आयोजित करना।
 - > देशभर में विलिनिक चालू किए गए, जो BSF, CRPF, ITBP के कार्मिकों तक विस्तृत हैं; संपत्ति विवाद, पेंशन और पारिवारिक कल्याण से जुड़ी मुकदमेबाज़ी का भी समर्थन।



Your Notes



Our Programs

Courses designed according to new RPSC Pattern

Foundation

Offline + Online

Live from classroom

Weekly Test series

Daily DPP discussion

Prelims test and Que bank

Current affairs

12-14 Months duration



RIPA Advance

Mentorship + Mains Notes

22 Mains Test + Discussion

Answer writing Sessions

Current affairs

22 Prelims test and que bank

Updated content



RIPA Max

Complete Mains Course

Mentorship + Video Lectures + Notes

22 Mains Test + Discussion

Answer writing Sessions

22 Prelims test and Que bank

Current affairs

One stop solution for mains



Integrated Test Series

22 Mains Tests and Solutions


Discussion & Detailed Feedback

Answer writing sessions

22 Prelims Tests

Prelims Question Bank

Live test discussions



Prime Batch

RAS Mock Interviews

One to one guidance

Current Issues

Personalized content

Districts, College, Hobby, Jobs...



Download App



Connect Civils

RajRAS Ventures
In-app purchases

Uninstall

Open



SCAN ME



9352179495



Connect Civils RAS



Youtube Lecture

Study Material

Complete coverage of RBSE/NCERT/IGNOU/NIOS



Smart Strategy - Budget, Eco survey, PYQs analysis



Visit the Connection center and feel the vibe



21/2, Gopalpura Bypass Rd,
VISHVAISARIYA NAGAR,
Jaipur, Rajasthan 302018



SCAN ME



9352179495



Connect Civils RAS



Youtube Lecture